भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

का

निष्कर्ष बजट

2007-2008

निष्पादन सारांश

इस्पात मंत्रालय के निष्पादन बजट का उद्देश्य मंत्रालय की विशिष्ट भूमिका और उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और गतिविधियों तथा इस्पात मंत्रालय तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के निष्कर्ष पर प्रकाश डालना है। इस दस्तावेज में वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए नियत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों और वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए अनुमानों का विवरण भी दिया गया है।

अध्याय-। में इस्पात मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे और उद्देश्यों, मुख्य कार्यक्रमों के वर्गीकरण और इनसे सम्बद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

अध्याय-।। में मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में परिव्यय तथा निष्कर्षों/लक्ष्यों का विवरण तालिकाओं के रूप में दिया गया है। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनाएं/परियोजनाएं बहुत अधिक हैं तथा प्रकृति में भिन्न-भिन्न हैं और अधिकांशत: उनके दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों से संबंधित हैं, अत: 50 करोड़ रूपए और इससे अधिक अनुमानित/मंजूर लागत वाली केवल प्रमुख योजनाओं को ही इस विवरण में शामिल किया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए ऐसी 32 प्रमुख योजनाओं, जिनमें 31 योजनागत योजनाएं तथा 1 गैर-योजनागत योजना शामिल है, को निष्कर्ष बजट में शामिल किया गया है। इन 31 योजनागत योजनाओं को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (17 योजनाएं), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (7 योजनाएं), नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन (4 योजनाएं) और कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (3 योजनाएं) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इन योजनाओं पर होने वाले पूरे व्यय की पूर्ति संबंधित उपक्रमों के आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ईबीआर) से की जाएगी। एक मात्र प्रमुख गैर-योजनागत योजना हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कंपनी द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋणों हेतु ब्याज इमदाद उपलब्ध करवाने के लिए

है। इन 32 प्रमुख योजनाओं के संबंध में अनुमानित/मंजूर लागत, वर्ष 2007-08 के लिए परिव्यय,

(i)

प्रक्रियाओं/टाइमलाइन्स, जोखिम घटकों, अनुमानित वास्तविक उत्पादन तथा अनुमानित निष्कर्ष इस विवरण में दिए गए हैं।

अध्याय-।।। में इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों और नीतिपरक पहलों का विवरण दिया गया है। इस अध्याय में सरकार द्वारा भारतीय लोहा और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए उदारीकरण के बाद किए गए महत्वपूर्ण नीतिपरक उपायों का ब्यौरा दिया गया है। इस संबंध में इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई एक महत्वूपर्ण नीतिपरक पहल राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2005 की घोषणा है। राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य घरेलू इस्पात उद्योग को विविधीकृत इस्पात मांग को पूरा करने वाला विश्वस्तरीय मानकों का आधुनिक तथा क्षमतावान इस्पात उद्योग बनाना है। इस नीति में न केवल लागत, गुणवत्ता तथा उत्पाद मिश्र की दृष्टि से अपितु दक्षता तथा उत्पादकता के वैश्विक मानकों की दृष्टि से भी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति में वर्ष 2019-2020 तक 110 मिलियन टन वार्षिक इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस्पात उद्योग के निष्पादन की समीक्षा करने, प्रमुख क्षेत्रगत नीतिपरक मुद्दों तथा सरोकारों पर विचार करने, 11वीं योजना के दौरान मांग तथा आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा कार्यान्वयन के लिए नीतिपरक सिफारिशें करने के लिए मई, 2006 में योजना आयोग द्वारा लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित एक कार्य दल का गठन किया गया था। कार्य दल ने मांग तथा आपूर्ति संबंधी प्रबंधन, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण, मूल्य स्थिरता तथा सुरक्षा उपायों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में सिफारिशें करते हुए अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2006 में योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। इस अध्याय में उन सिफारिशों तथा उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जिनके संबंध में भारत को लोहा और इस्पात क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सहायक उपाय किए जाने/नीतियां बनाएं जाने की जरूरत है।

अध्याय- IV में इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट, 2006-07 में दर्शाए गए अनुमानित निष्कर्षों/लक्ष्यों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 50 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक की अनुमानित/मंजूर लागत वाली प्रमुख योजनाओं तथा परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की गई

है। निष्कर्ष बजट 2006-07 में शामिल 26 प्रमुख योजनाओं-25 योजनागत योजनाओं तथा एक गैर-योजनागत योजना के संबंध में 2006-07 की तीसरी तिमाही (31 दिसंबर, 2006 तक) तक का निष्पादन अनुमोदित परिव्यय तथा अनुमानित निष्कर्षों की तुलना में किए गए वास्तविक व्यय और योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियों को देखते हुए दर्शाया गया है। 25 प्रमुख योजनागत योजनाएं सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी और केआईओसीएल से संबंधित हैं तथा एक मात्र गैर-योजनागत योजना एचएससीएल की है। चूंकि अधिकांश प्रमुख योजनाएं इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, अत: वास्तविक उपलब्धियों का अपेक्षाकृत अधिक सार्थक और वास्तविक मूल्यांकन इन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद ही संभव होगा।

अध्याय-V में इस्पात मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों के वित्तीय परिव्यय तथा वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया गया है। बजट अनुमान 2006-07 में 129.50 करोड़ रूपए तथा संशोधित अनुमान 2006-07 में 182.00 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में बजट अनुमान 2007-08 में इस्पात मंत्रालय के लिए मांग संख्या-90 के तहत 150.50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट अनुमान 2006-07 में मंत्रालय के 3217.30 करोड़ रूपए के वार्षिक योजना परिव्यय (आई एंड ईबीआर: 3172.30 करोड़ रूपए तथा योजना बजटीय सहायता: 45.00 करोड़ रूपए) को बढ़ाकर बजट अनुमान 2007-08 में 6203.70 करोड़ रूपए (आई एंड ईबीआर: 6137.70 करोड़ रूपए तथा योजना बजटीय सहायता: 66.00 करोड़ रूपए) कर दिया गया है। योजना परिव्यय में काफी बढ़ोतरी मुख्यत: आरआईएनएल के वाईजैग इस्पात संयंत्र के क्षमता विस्तार हेतु 2500 करोड़ रूपए के परिव्यय के कारण की गई है। चालू वर्ष सहित हाल ही के वर्षों में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रुख के संबंध में सरकारी

क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों तथा उनके पास व्यय नहीं किए गए शेष की स्थिति भी इस अध्याय में दर्शाई गई है। इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों में शामिल प्रावधानों को संबद्ध करते हुए इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांग की अनुपूरक जानकारी भी दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था अधिकांशत: उनके आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ईबीआर) से की जा रही है और संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा इनका वास्तविक और वित्तीय तौर पर नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है। निदेशक मंडल द्वारा इन योजनाओं/परियोजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा के अलावा मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर इनकी प्रगति की समीक्षा की जाती है। प्रबोधन तथा मूल्यांकन तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए है कि योजनाओं/परियोजनाओं के पूरा होने पर उनकी वास्तविक उपलब्धियां निष्कर्ष बजट 2007-08 में अनुमानित निष्कर्षों से मेल खाती हों।

****

अध्याय-I

प्रस्तावना

1. उद्देश्य

इस्पात मंत्रालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

(क) लोहा और इस्पात तथा फैरो-मिश्र के उत्पादन, वितरण, मूल्य, आयात और निर्यात से संबंधित नीतियां बनाना;

(ख) लोहा और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की आयोजना, विकास और इनकी स्थापना को सुसाध्य बनाना

(ग) सरकारी क्षेत्र में लौह अयस्क खानों तथा लोहा और इस्पात उद्योग के उपयोग में आने वाली अन्य लौह अयस्क खानों का विकास; और

(घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और इसकी सहायक कंपनियां तथा लोहा और इस्पात क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों/सरकार द्वारा प्रबंधित कंपनियों के निष्पादन का प्रबोधन करना।

2. कार्यक्रम

2.1 इस्पात मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रम/उप-कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

(i) खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग - लोहा और इस्पात उद्योग

(क) उत्पादन, आयात और निर्यात;
(ख) टैरिफ तथा मूल्य निर्धारण;
(ग) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण;
(घ) निर्माण कार्य; और
(ड.) तकनीकी तथा परामर्शी सेवाएं

(ii) खान और खनिज:

(क) लौह अयस्क;
(ख) मैंगनीज अयस्क; और
(ग) क्रोमाइट अयस्क

2.2 इस्पात मंत्रालय - इस्पात उद्योग के विकास के लिए सहायक

इस्पात मंत्रालय से इस्पात क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं एकीकृत उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण, 11वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के स्तर को प्राप्त करने के लिए इस्पात क्षेत्र का सतत् उत्थान पूर्वापेक्षित है। तथापि, यह मानना होगा कि इस्पात जैसे उद्योग के साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के अग्रगामी एवं पश्चगामी सम्बन्ध हैं अत: इसकी अपनी स्वयं की विकास पद्धति अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। कच्चे माल और ऊर्जा लागत की बढ़ती हुई कीमतें **इस्पात क्षेत्र** की कई कम्पनियों के तुलन-पत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस क्षेत्र में निजी निवेश के सतत् स्तर को भी बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अच्छी बात है कि इस्पात क्षेत्र जिस माहौल में प्रचालन करता है उसमें इस्पात मंत्रालय द्वारा एक प्रोत्साहक की भूमिका निभाने की जरूरत है। इस्पात मंत्रालय से एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है ताकि भारतीय इस्पात क्षेत्र **द्वारा सामना की जा रही** अड़चनों को यह दूर कर सके तथा **इसमें** कच्चे माल की उपलब्धता, अवसंरचना विकास, अपेक्षित पूंजी **का प्रावधान करने** के लिए वित्तीय संस्थाओं से सतत् आधार पर बातचीत करना और उपयुक्त नीतिपरक कार्रवाई करने में **सरकार के अन्य** संबंधित मंत्रालयों और विभागों **के साथ कार्रवाई करना ।**

3. संगठन

इस्पात मंत्रालय के प्रभारी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री हैं। इनकी सहायता के लिए एक सचिव, भारत सरकार, एक **विशेष** सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, एक मुख्य लेखा नियंत्रक, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, **चार** निदेशक, **तीन** उप सचिव **(28.2.2007 की स्थिति के अनुसार)** तथा अन्य अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी । **लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित मामलों को तकनीकी दृष्टि से देखने के लिए** एक तकनीकी स्कंध है जिसके प्रभारी औद्योगिक सलाहकार हैं, जो भारत सरकार के वरिष्ठ निदेशक स्तर के हैं। **इनकी सहायता के लिए एक अपर औद्योगिक सलाहकार,** एक संयुक्त औद्योगिक सलाहकार एवं अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

इस्पात मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय नामत: विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय था, जो कोलकत्ता में स्थित **था**। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर विकास आयुक्त लोहा और इस्पात का कार्यालय तथा इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 25.3.2003 से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया था। इस कार्यालय को बंद करने के परिणामस्वरूप विकास आयुक्त लोहा ओर इस्पात के 226

कर्मचारियों में से 223 कर्मचारी अधिशेष घोषित कर दिए गए और पुनर्तैनाती हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष सैल की नामावली में ले लिए गए। शेष तीन कम्रचारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अभी अधिशेष घोषित किए जाने हैं। आंकड़े संग्रहण का कार्य जो संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) को सौंपा गया है, को छोड़कर विकास आयुक्त लोहा और इस्पात के शेष कार्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं।

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई सांविधिक अथवा स्वायत्त निकाय नहीं है।

4. <u>सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी प्रबंधन की कंपनियां</u>

4.1 इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम और सरकारी प्रबंधनाधीन कंपनी कार्य कर रहे हैं:-

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), नई दिल्ली
2. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल), बंगलौर
3. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी), हैदराबाद
4. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल), कोलकाता
5. मेकान लिमिटेड, रांची
6. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल), नागपुर
7. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल), हैदराबाद
8. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी आर एल), बोकारो
9. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल), विशाखापट्टनम
10. एम एस टी सी लिमिटेड, कोलकाता
11. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल), भिलाई (एम एस टी सी लि. की सहायक कंपनी)

(1) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के समग्र नियंत्रणाधीन निम्नलिखित इकाइयां हैं:-

1. बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो;
2. भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई;
3. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर;
4. राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला;
5. मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर;
6. सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम;
7. **इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर (पूर्व में सेल की एक सहायक कंपनी इस्को का 16.2.2006 को सेल में विलय हो गया और इसे इस्को स्टील प्लांट नाम दिया गया है ।**

8. विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र, भद्रावती
9. केन्द्रीय विपणन संगठन, कोलकाता;
10. लोहा और इस्पात अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, रांची;
11. कच्चा माल प्रभाग, कोलकाता;
12. इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, रांची; और
13. निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लिमिटेड (एमईएल) भी सेल की एक सहायक कंपनी है जिसमें सेल की 99.12 प्रतिशत शेयर पूंजी है। एमईएल का संयंत्र चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में स्थित है और यह कंपनी फैरो मिश्र का उत्पादन करती है।

2. **कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल)** कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क भण्डारों का विकास करने तथा उनसे उत्पादित लौह अयस्क सांद्रणों की बिक्री के लिए अप्रैल, 1976 में बनाई गई थी। यह पूर्णतः सरकारी कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बंगलौर में है।

3. **नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी)** लौह अयस्क के खनन और हीरे, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, बेंटोनाइट आदि जैसे खनिजों के गवेषण/विकास कार्य में लगा हुआ है। इसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है। इसके साथ-साथ भारत सरकार की ओर से मैसर्स मांडवी पैलेट्स लिमिटेड नामक कंपनी में भी इसकी भागीदारी है। यह कंपनी मैसर्स चोगुले एंड कंपनी के सहयोग से स्थापित संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जो पैलेटों के निर्माण के लिए स्थापित की गयी है। जम्मू स्थित जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन नामक कंपनी एन एम डी सी की सहायक कंपनी है।

4. **हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)** जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकत्ता में है, ने बोकारो, विजाग और सेलम जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना और भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर (इस्को) आदि इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण से सम्बद्ध बड़े-बड़े निर्माण कार्य किए हैं। अब कंपनी ने उच्च श्रेणी की योजना समन्वय और अत्याधुनिक तकनीकों के साथ अवसंरचना क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं।

5. **मेकॉन लिमिटेड,** देश में पहला परामर्शी और इंजीनियरी संगठन है जिसे आई एस ओ: 9001 मान्यता **प्राप्त** है। यह कंपनी न केवल आधारभूत इंजीनियरी, विस्तृत इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन आदि के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है बल्कि इसने लौह, अलौह, तेल और गैस, पैट्रो रसायन और दूसरे सामान्य उद्योगों के लिए उपस्करों के रूपांकन और आपूर्ति में अत्यधिक विशेषज्ञता का भी विकास किया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रांची में स्थित है।

6. **भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बी आर एल)** की तीन रिफ्रैक्ट्री इकाइयां हैं। इनमें से एक भण्डारीदह में, एक रामगढ़ में और एक इकाई भिलाई में है। बी आर एल का पंजीकृत कार्यालय बोकारो में है। द इंडिया फायरब्रिक्स एंड इन्सुलेशन कंपनी लि. (इफिको) बिहार के हजारीबाग जिले में रामगढ़ में स्थित है। पहले यह एक सहायक कंपनी थी जिसका 1.10.97 से बी आर एल में विलय कर दिया गया और अब यह इसकी एक इकाई बन गयी है। अब यह इफिको रिफ्रैक्ट्रीज संयंत्र के नाम से जानी जाती है।

7. **मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल),** जिसका निगमित कार्यलय नागपुर में है, उच्च ग्रेड के मैंगनीज अयस्क का उत्पादक करने वाली सबसे बडी कंपनी है। इस्पात बनाने में प्रयुक्त होने वाले फैरो-मिश्र का उत्पादन करने के लिए मैंगनीज कच्चे माल के रूप में काम में लाया जाता है तथा डाईऑक्साइड अयस्क शुष्क बैटरियों के उत्पादन हेतु कच्चा माल है। भारत सरकार तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें कंपनी की शेयरधारक हैं। भारत सरकार की शेयरधारिता 81.57% है।

8. **स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल),** प्रदर्शन स्पंज लौह संयंत्र के सफल प्रचालन के पश्चात् अस्तित्व में आया। यह भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की भागीदारी तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की सहायता से ठोस अपचयन प्रक्रिया (सॉलिड रिडक्टेंट प्रोसेस) के आधार पर स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया गया है। सिल का पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है।

9. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)** का पंजीकृत कार्यालय विशाखापट्टणम में है। यह भारत में स्थापित प्रथम तटीय आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है और यह कच्चे माल के प्रमुख स्त्रोतों से दूर स्थित है। 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के द्रव इस्पात के साथ इसे जुलाई, 1992 में चालू किया गया था।

10. **एम एस टी सी लिमिटेड** भारत सरकार का एक व्यावसायिक उपक्रम है। पहले यह लघु इस्पात संयंत्रों को वितरण के लिए इस्पात गलन स्क्रैप का आयात करने वाली माध्यम एजेंसी के रूप में नामित थी । इसका मुख्यालय कोलकात्ता में है। इस कंपनी का माध्यम एजेंसी का स्वरूप फरवरी, 1992 से समाप्त हो गया। अब यह अन्य निजी व्यावसायिक कंपनियों की तरह पूर्णत: स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम कर रही है। अब यह कंपनी सेल, आर आई एन एल आदि के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पन्न होने वाले लौह स्क्रैप और अन्य गौण सामग्री और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों और सरकारी विभागों जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है, में उत्पन्न होने वाले स्क्रैप और अधिशेष भंडार आदि का निपटान कार्य कर रही है।

11. **फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)** पहले एम एस टी सी और मै. हर्सको कारपोरेशन इंक, अमेरिका की एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी थी । अब एम एस टी सी द्वारा एम एस हर्सको के धारित 40% साम्या शेयरों का अधिग्रहण करने के बाद यह एम एस टी

सी की शत प्रतिशत सहायक कंपनी बन गई है। यह कंपनी दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टणम तथा डोलवी स्थित इस्पात संयंत्रों से स्क्रैप प्राप्त करने और उसका प्रक्रमण करने का कार्य करती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भिलाई में है।

4.2 **सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त उपक्रमों के अतिरिक्त इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी प्रबंधन की कंपनियां अर्थात बर्ड ग्रुप की कंपनियां, कोलकाता हैं ।** 25 अक्तूबर, 1980 से भारत सरकार द्वारा 21 कम्पनियों के शेयर जो पहले बर्ड एंड कम्पनी लिमिटेड के पास थे, का अधिग्रहण करने पर इस्पात उद्योग से संबंधित बर्ड ग्रुप की निम्नलिखित 8 कम्पनियां इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई:-

1. ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल);
2. उड़ीसा मिनरल डेवलमेंट कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी);
3. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी);
4. करनपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (के डी सी एल);
5. स्कॉट एंड सैक्सबी लिमिटेड (एस एस एल), (के डी सी एल की सहायक कंपनी);
6. कुमारध्रुबी फायरक्ले एंड सिलिका वर्क्स लिमिटेड (के एफ एस डब्ल्यू);
7. बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड; और
8. बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड

उपर्युक्त 8 कंपनियों में से ई आई एल एक निवेश कंपनी है। बोरिया और बुराकुर कोयला कंपनियों का प्रचालन नहीं हो रहा है और ये केवल भुगतान आयुक्त और अन्य एजेंसियों के साथ दावों और प्रतिदावों का निपटान करने के लिए हैं। चूंकि के एफ एस डब्ल्यू रिफ्रैक्ट्री सामग्री का उत्पादन और विपणन का कार्य कर रही थी अत: यह भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल) से संबद्ध हो गई और यह मौजूदा बर्ड ग्रुप कंपनियों से संबद्ध नहीं है। शेष केवल चार कंपनियां नामत: ओ एम डी सी, बी एस एल सी, के डी सी एल और एस एस एल ही अब प्रचालनरत हैं।

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित मुख्य स्कीमों/कार्यक्रमों (50 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक की अनुमानित/स्वीकृत लागत की) का ब्यौरा अध्याय-।। में दिया गया है ।

5. इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों **तथा सरकारी प्रबंधन की कंपनी** की सूची, उनके पंजीकृत कार्यालयों के स्थान सहित **नीचे** दी गई है।

I. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

2. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल), II-ब्लाक, कोरमंगला, बंगलौर-560034

3. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी), खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद-500028

4. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल), 5/1 कैमिशेरिएट रोड, हैस्टिंग्स, कोलकाता-700022

5. मेकान लिमिटेड, मेकान बिल्डिंग, पो.ओ.,हीनू, रांची-834002

6. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मायल), 3 माउंट रोड एक्सटेंशन, नागपुर-440001

7. स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (सिल), एन एम डी सी कॉम्पलैक्स, खनिज भवन, 10-3-311/ए कैसल हिल्स, हैदराबाद-500028

8. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड (बी आर एल), इंदिरागांधी मार्ग, सेक्टर IV, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, (झारखण्ड)-827004

9. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, (आर आई एन एल), परियोजना कार्यालय ए ब्लाक, विशाखापट्टणम-530031

10. एम एस टी सी लिमिटेड, 225 एफ, आचार्य जगदीश बोस रोड, कोलकाता-700020

11. फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल), एफ एस एन एल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स नं. 37, भिलाई (छत्तीसगढ़)-490001

II. सरकार के प्रबंधन में कंपनी

(1) बर्ड ग्रुप की कंपनियाँ, एफ डी 350, साल्ट लेक, सेक्टर-।।।, कोलकाता-700091

****

अध्याय-II

वर्ष 2007-08 के लिए प्रमुख योजनाओं का निष्कर्ष बजट

उनके अवधारणात्मक, रूपांकन और कार्यान्वयन को निष्कर्षोन्मुखी बनाकर विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2005-06 में निष्कर्ष बजट की अवधारणा **शुरू** की गई थी। यह इस अवधारणा पर आधारित है कि परिव्यय अनिवार्यरूप से निष्कर्ष नहीं होता। निष्कर्ष बजट का अभिप्राय न केवल मध्यवर्ती वास्तविक उत्पादन जिसे अधिक तात्कालिक ढंग से मापा जा सकता है, का ट्रैक करना है, बल्कि सरकार के हस्तक्षेप के अन्तिम उद्देश्य का निष्कर्ष है। इसके लिए सुदृढ़ परियोजना/कार्यक्रम बनाने, मूल्यांकन क्षमताओं के साथ-साथ प्रभावी **बेंच**-सुपुर्दगी प्रणालियों की आवश्यकता होती है। सम्पूर्ण कार्रवाई को मानिटर करने योग्य बनाकर सुपुर्दगी की यूनिट लागत की **बेंच**-मार्किंग सहित निष्कर्ष विकास को मापने योग्य परिभाषित करना है। धन जिसे वांछित निष्कर्ष सहित प्रस्तावित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, के समय पर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता है तथा उपयुक्त रिर्पोटिंग के जरिए उचित लेखांकन, लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता है। इसलिए निष्कर्ष बजट सभी प्रमुख कार्यक्रमों के विकास निष्कर्ष को मापने के लिए तंत्र तैयार करने का एक प्रयास है।

इस्पात मंत्रालय अब तक सीधे कोई योजनागत स्कीम/कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता । तथापि, 100.00 करोड़ रूपए के प्रस्तावित परिव्यय से लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजनागत स्कीम शुरू की गई है, जिसके लिए 2007-08 के वार्षिक योजना परिव्यय में 1.00 करोड़ रूपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है । इस स्कीम का ब्यौरा इस क्षेत्र के विभिन्न शेयरधारकों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है । इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने-अपने प्रचालनों के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। योजना के स्वरूप पर निर्भर करते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनागत योजनाएं उनकी वार्षिक योजना अथवा पंचवर्षीय योजनाओं अथवा दोनों की घटक होती हैं। प्रत्येक उपक्रम की अपनी-अपनी कई योजनाएं हैं। अधिकांश योजनाएं कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों और प्रचालनों से संबंधित हैं। इसलिए यह महसूस किया गया है कि इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सभी योजनाओं को शामिल करना न तो व्यवहारिक होगा और न ही निष्कर्ष बजट के उद्देश्य के अनुरूप। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में केवल 50 करोड़ रूपए से अधिक लागत की मंजूर/अनुमानित लागत की प्रमुख योजना और गैर-योजनागत योजनाओं को ही शामिल किया जाए। तदनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख योजनाओं (50 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक मंजूर लागत) का 2007-08 का निष्कर्ष निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के वित्तीय बजट, 2007-08 और निष्कर्ष बजट, 2007-08 के बीच पूर्णत: अनुरूपता प्रमाणित करने को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 50 करोड़ रूपए से कम लागत की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजटीय आबंटन भी तालिका में **दिए गए हैं** ।

परिव्यय तथा निष्कर्ष का विवरण/लक्ष्य (2007-08)
(50.00 करोड़ रूपए से अधिक की अनुमानित/मंजूर लागत की योजनाएं)

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2007-08 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
क.	**50.00 करोड़ रूपए से अधिक की अनुमानित/मंजूर लागत की योजनाएं**								
1.	**स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)**								
	भिलाई इस्पात संयंत्र								
(i)	वायर रॉड मिल के बी-स्ट्रैण्ड की मरम्मत	टीएमटी ग्रेड के वायर रॉड तथा बेहतर गुणवत्ता वाले छोटे सैक्शन के उत्पादन को सुसाध्य बनाना	74.66	--	--	14.80	टीएमटी ग्रेड के वायर रॉड तथा 5.5 से 7.0 एमएम में छोटे सैक्शन के उत्पादन को सुसाध्य बनाना	नवंबर '06	मिल निष्पादन स्थिरता के चरण में है ।
(ii)	कोक ओवन बैटरी-5 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानकों को प्राप्त करना	219.04	--	--	116.48	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानकों को प्राप्त करना	दिसंबर '07	मैसर्स सीयूआई, यूक्रेन द्वारा सिविल ड्राईंग्स में विलंब के कारण कार्यस्थल संबंधी कार्य में देरी हुई ।
(iii)	प्लेट मिल में हाईड्रोलिक ऑटोमेटिक गेज कंट्रोल एवं प्लान व्यू रोलिंग	ग्राहकों की क्लोजर थिकनैस टोलरेंस आवश्यकता को पूरा करना, कम क्रोप कटिंग व साईड ट्रिमिंग तथा प्लेटों के उत्पादन में सुधार	64.10	--	--	12.33	ग्राहकों की क्लोजर थिकनैस टोलरेंस आवश्यकता को पूरा करना, कम क्रोप कटिंग व साईड ट्रिमिंग तथा प्लेटों के उत्पादन में सुधार	मार्च '07	नवंबर, 06 में सेमी ऑटो मॉड पर पूर्ण किया गया । परीक्षण चालन के दौरान आई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है ।
(iv)	धमन भट्टी-7 का प्रौद्योगिकीय उन्नयन	उपयोगी मात्रा तथा उत्पादकता में वृद्धि करना	170.41	--	--	26.63	उपयोगी मात्रा में 2000 एम3 से 2214 एम3 तक तथा उत्पादकता में 1.75टी/एम3/दिन से 2.0 टी/एम3/दिन की वृद्धि करना ।	फरवरी '07	टूयेरे कूलर्स में आई समस्याओं के कारण परियोजना में देरी हुई, जिसे दूर कर दिया गया । अब शीघ्र शुरू करने का कार्यक्रम है ।

(v)	नई स्लैब कास्टर, आरएच डिगैसर तथा लैडल फर्नेस की स्थापना	भारतीय रेलवे के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली प्लेटों तथा पटरियों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित/विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करना ।	520.76	--	--	299.19	अतिरिक्त कास्टिंग 0.165 एमटीपीए. एपीआई X65/X70 ग्रेड-3,00,000टी	नवंबर '07	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना लगभग चालू है ।
(vi)	एसएमएस में तप्त धातु डिसल्फयूराईजेशन	विशेष रूप से ऑफ-शोर, परिवहन तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कम सल्फर वाले इस्पात के उत्पादन की सुविधा प्रदान करना ।	86.23	--	--	54.24	तप्त धातु में सल्फर के स्तर में 0.1% से 0.01% तक की कमी	अगस्त '07	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2007-08 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र								
(vii)	संबद्ध सुविधाओं सहित ब्लूम कास्टर	इस्पात के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार करना तथा ऊर्जा खपत को कम करना	271.41	--	--	45.84	कास्ट ब्लूम-0.85 एमटीपीए	मार्च '07	- प्रमुख कार्य पूरा हो गया । रोल टेबल के ड्राईव का परीक्षण चल रहा है । - आपूर्ति एवं उत्थापन कार्य में मैसर्स डेनियली, इटली द्वारा विलंब हुआ ।
(viii)	बीएफ-3 व 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन	प्रौद्योगिकीय जरूरत के मुताबिक कोक दर में कमी तथा फर्नेस उत्पादकता में सुधार	74.22	--	--	44.30	1:1 अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापना । 120 किग्रा/ टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर ।	अगस्त'07	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।
	बोकारो इस्पात संयंत्र								
(ix)	कोक ओवन बैटरी-5 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	198.84	--	--	62.54	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	मार्च '07	बैटरी प्रोपर में रिफ्रैक्ट्री उत्थापन अग्रिम चरण में है । परियोजना लगभग कार्यक्रम के अनुसार चालू है ।
(x)	हॉट स्ट्रिप मिल में मीवैस्ट ब्लॉक सिस्टम तथा हाऊसिंग मशीनिंग में संशोधन/मरम्मत कार्य ।	हॉट स्ट्रिप की समग्र गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन में सुधार करना तथा हॉट स्ट्रिप मिल के सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करना ।	91.86	--	--	36.50	तप्त धातु के उत्पादन के साथ-साथ समग्र गुणवत्ता में सुधार करना तथा हॉट स्ट्रिप मिल के निर्बाध रूप से कार्य को सुनिश्चित करना ।	जून '07	परियोजना के समय पर पूरा होने की आशा है ।
(xi)	ऑक्सीजन संयंत्र में एयर टर्बो कम्प्रैशर (एटीसी) तथा ऑक्सीजन टर्बो कम्प्रैशर (ओटीसी)	उपस्कर को ठीक बनाए रखने तथा भविष्य में दीर्घ आधार पर ऑक्सीजन संयंत्र के उत्पादन के लिए तकनीकी आवश्यकता ।	81.76	--	--	61.71	एटीसी क्षमता 90,000 एमएम3/घंटा तथा ओटीसी क्षमता 15,000 एमएम3/घंटा	नवंबर '07	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।

(xii)	बीएफ-2 व 3 में कोल डस्ट इंजेक्शन सिस्टम	कोक दर में कमी तथा फर्नेश उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी आवश्यकता	133.92	--	--	72.83	1:1 अनुपात आधार पर पल्वेराईज्ड कोल सहित कोक का प्रतिस्थापन, 120 किग्रा/टीएचएम पर धमन भट्टी में कोल इंजेक्शन दर	मई '08	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।
(xiii)	कोल हैण्डलिंग प्लांट में कोककर कोयला भंडारण सुविधाएं	कोककर कोयला के लिए भंडारण सुविधाओं में वृद्धि	134.00	--	--	50.00	भंडारण क्षमता में 115,000 टन से 202,500 टन की वृद्धि	मार्च '08	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2007-08 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
	राउरकेला इस्पात संयंत्र								
(xiv)	कोक ओवन बैटरी-1 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	112.39	--	--	12.43	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	अप्रैल '07	- दिनांक 24.12.06 को चिमनी तथा दिनांक 21.1.07 को बैटरी चालू कर दी गई । - मैसर्स सीयूआई, यूक्रेन से आपूर्ति में हुई देरी के कारण परियोजना में विलंब हुआ ।
(xv)	एसएमएस-।। में हॉट मैटल डिसल्फ्यूराईजेशन यूनिट	विशेष रूप से ऑफ-शोर, परिवहन तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कम सल्फर वाले इस्पात के उत्पादन की सुविधा प्रदान करना ।	52.39	--	--	35.00	तप्त धातु में सल्फर के स्तर में 0.1% से 0.01% तक की कमी	मई '08	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।
(xvi)	बीएफ-4 में कोल डस्ट इंजेक्शन सिस्टम	कोक दर में कमी तथा फर्नेश उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी आवश्यकता	116.00	--	--	40.00	1:1 अनुपात आधार पर पल्वेराईज्ड कोल सहित कोक का प्रतिस्थापन, 120 किग्रा/टीएचएम पर धमन भट्टी में कोल इंजेक्शन दर	अक्तूबर '08	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।
	इस्को इस्पात संयंत्र								
(xvii)	धमन भट्टी -2 का पुनर्निर्माण/उन्नयन	उत्पादकता में वृद्धि करने तथा उपयोगी मात्रा बढ़ाने के लिए धमन भट्टी -2 का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ।	103.93	--	--	60.00	530 एम3 की उपयोगी मात्रा तथा 1.15 टी/एम3/दिन की उत्पादकता सहित 213,500 टीपीए का तप्त धातु उत्पादन	सितंबर '07	कार्यक्रम के अनुसार परियोजना चल रही है ।

2.	**<u>राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड</u> (आरआईएनएल)**								
(i)	कोक ओवन बैटरी सं. 4, चरण-।	कोक की जरूरतों एवं शेष गैस को पूरा करने के लिए, अन्य तीन कोक ओवन बैटरियों की बड़े पैमाने पर मरम्मत के दौरान भी तप्त धातु व द्रव इस्पात के उत्पादन को इस स्तर पर बनाए रखने हेतु एक प्रतिस्थापन बैटरी की आवश्यकता होगी ।	303.00	--	--	71.00	0.75 एमटी कोक का उत्पादन करना	दिसंबर, 06 । संभवत: दिनांक 31.3.07 तक बैटरी की हीटिंग हो जाएगी ।	उत्थापन जरूरत को पूरा करने के लिए सुपुर्दगी कार्यक्रमानुसार मैकेनिकल तथा रिफैक्ट्री सामानों की आपूर्ति में हुई देरी के कारण परियोजना में विलंब हुआ ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2007-08 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(ii)	कोक ओवन बैटरी सं. 4, चरण-।।	गैस का पूर्ण उपयोग करना तथा कोल हैंडलिंग में अतिरिक्ति उप-उत्पाद सुविधाएं प्रदान करके उप-उत्पादों के बेहतर कार्यान्वयन में वृद्धि करना	168.89	--	--	60.20	उप-उत्पादों की प्राप्ति में वृद्धि	सितंबर '08	-शुरू में जनवरी, 06 में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था । तथापि, वीएसपी को मिनी रत्न का दर्जा मिलने पर प्रस्ताव को आरआईएनएल के पास वापिस भेजा दिया गया । निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को जून, 06 में मंजूरी प्रदान कर दी । -प्रमुख पैकेजों के लिए निविदाएं जारी हैं ।
(iii)	तप्त धातु की वर्तमान 3.0 एमटीपीए क्षमता से 6.5 एमटीपीए क्षमता तक विस्तार करना	तप्त धातु की वर्तमान 3.0 एमटीपीए क्षमता से 6.5 एमटीपीए करके संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करना ।	8692.00	--	--	2500.00	8692 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से तप्त धातु की वर्तमान 3.0 एमटीपीए क्षमता से 6.5 एमटीपीए क्षमता बढ़ाकर संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करना ।	दिनांक 28.10.05 से चरणों में 36/48 माह	-भारत सरकार ने दिनांक 28.10.05 को प्रस्ताव को मंजूरी दी । - संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्यों में वृद्धि से समय एवं लागत में वृद्धि हुई । -बाजार मूल्यों, कच्ची सामग्री के मूल्यों में उतार-चढ़ाव - अन्य देशों द्वारा इस्पात की डम्पिंग - प्रमुख पैकेजों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है ।

(iv)	एयर सैपरेशन प्लांट	कंबाइन्ड ब्लोइंग प्रोसेस हेतु ऑर्गन की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना । उत्पादित ऑक्सीजन बीएफ में प्रयुक्त की जाती है ।	96.00	--	--	70.00	- 95 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 600 टन क्षमता - एसएमएस में द्रव इस्पात तथा बीएफ में तप्त धातु का उत्पादन बढ़ाना ।	अक्तूबर, 07	परामर्शदाता के संबंध में अंतिम निर्णय लेना, ऑर्डर देने की प्रक्रिया जारी है ।
(v)	पुल्वेराईज्ड कोल इंजेक्शन	कम महंगे पुल्वेराईज्ड कोल की तुलना में महंगे बीएफ कोक की खपत में कमी के लिए इंजेक्शन सिस्टम ।	165.00	--	--	80.00	-तप्त धातु के उत्पादन में वृद्धि करना । -तप्त धातु के उत्पादन की लागत को कम करना।	अक्तूबर, 07	-शुरू में फरवरी, 05 में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था । तथापि, वीएसपी को मिनी रत्न का दर्जा मिलने पर प्रस्ताव को आरआईएनएल के पास वापिस भेजा गया है । निदेशक मंडल ने प्रस्ताव को जुलाई, 06 में अनुमोदित कर दिया था । - ऑर्डर देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2007-08 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(vi)	लौह अयस्क खान तथा कोककर कोयले की खानों का अधिग्रहण	आरआईएनएल/वीएसपी के पास कोककर कोयले/लौह अयस्क के निजी स्रोत नहीं हैं । लौह अयस्क एवं कोककर कोयला खानों का अधिग्रहण कच्ची सामग्री हेतु आत्मनिर्भर होने में आरआईएनएल की सहायता करेगा ।	600.00	--	--	65.00	- कच्ची सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाह्य स्रोतों पर निर्भरता में कमी करना । - मूल्यों में उतार-चढ़ाव के लिए सुरक्षा प्रदान करना	--	- राज्य सरकारों को लौह अयस्क के लिए राज़ी करना । - कोयला ब्लॉक आबंटिती सीएमडीपीएल, रांची को व्यवहार्यता रिपोर्ट देने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया । -कोयला खानों के विदेशी अधिग्रहण के लिए सेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया आदि के साथ एसपीवी का गठन किया जा रहा है ।
(vii)	बीएफ-1 सीएटी-1 की मरम्मत	अवसंरचनात्मक रूप से फर्नेस को मजबूत करके फर्नेस का जीवनकाल बढ़ाना तथा फ्यूल इंजेक्शन व उत्पादन को अन्य स्तरों से उच्च पर बनाए रखना ।	50.20	--	--	50.00	धमन भट्टी के जीवन काल में वृद्धि	2007-08	--
3.	**<u>कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.</u> (केआईओसीएल)**								
(i)	डक्टाईल आयरन स्पन पाईप (डीआईएसपी) संयंत्र	डक्टाईल आयरन स्पन पाईप जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद के उत्पादन हेतु एक संयंत्र की स्थापना ।	225.00	--	--	30.00	डीआईएसपी का उत्पादन 1,00,000 टन प्रति वर्ष करना	-फर., 07 तक वैश्विक निविदा जारी करना -जून, 07 तक ऑर्डर देना	डक्टाईल आयरन स्पन पाईप के स्थापन पर वैकल्पिक प्रयोग

(ii)	अन्य खान विकास *	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए नई खान स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना उद्देश्य है ।	145.00	--	--	5.00	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए नई खान स्थापित करना	कॉलम 8 देखें	- एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करने के लिए सेल के साथ एक समझौता हुआ है । - सेल के पक्ष में खननपट्टे का नवीकरण नहीं किया गया है । -2 मिलियन टन क्षमता के एक पैलेट संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी विचाराधीन है । -कर्नाटक सरकार, केआईओसीएल को रमनदुर्ग खान का 50 % हिस्सा आबंटित करने पर सहमत हो गई है ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2007-08 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
(iii)	मंगलौर में लौह अयस्क की प्राप्ति हेतु बल्क सामग्री संभाल सुविधाओं का निर्माण	पैलेट संयंत्र के कच्ची सामग्री के रूप में बेल्लारी/हॉस्पेट से उच्च ग्रेड के हेमेटाईट लौह अयस्क की प्राप्ति हेतु । योजना किफायती भी होगी ।	150.00	--	--	10.00	पैलेट संयंत्र के 3.5 एमटीपीवाई रेटिड उत्पादन के लिए रेल द्वारा 4 एमटीपीवाई लौह अयस्क की आपूर्ति ।	कॉलम 8 देखें	-पूरे उत्तरदायित्व आधार पर मैसर्स मेकॉन को ठेका दिया गया है । केआईएडीबी द्वारा भूमि आबंटित की गई है । -तथापि, केआईएडीबी द्वारा आबंटित भूमि का हिस्सा विवादाधीन है, इसलिए विवाद का समाधान होते ही कार्य शुरू हो सकता है ।
4.	**<u>नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी)</u>**								
(i)	बैलाडिला डिपोजिट –11बी	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना	295.89	--	--	55.00	चरण-I 3 एमटीपीए की क्षमता	कॉलम 13 देखें	पर्यावरण संबंधी मंजूरी (अक्तूबर, 06 में प्राप्त हुई) में विलंब के कारण दिनांक 1.1.07 से कार्य शुरू हुआ तथा प्रगति पर है ।
(ii)	कुमारास्वामी लौह अयस्क परियोजना	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना	296.03	--	--	2.00	चरण-I 3 एमटीपीए की क्षमता	कॉलम 13 देखें	पर्यावरण संबंधी मंजूरी जनवरी, 07 में प्राप्त हुई । पट्टा नवीकरण के विरूद्ध उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका ।
(iii)	स्पंज आयरन व 10 मेगावाट विद्युत संयंत्र-नागरनार	स्पंज आयरन का उत्पादन करना तथा विद्युत उत्पादन	79.00	--	--	5.00	1 लाख टन प्रति वर्ष स्पंज आयरन एवं 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन	सितंबर, 09	-मैसर्स सिल द्वारा तैयार टीईएफआर तथा यूटीआई बैंक द्वारा अपनी वित्तीय व्यवहार्यता के लिए इसका मूल्य निर्धारण किया गया है । - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है ।

(iv)	कर्नाटक में विंड मिल	विद्युत ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना	110.00	--	--	50.00	10 मेगावाट विद्युत उत्पादन, जिसका 20 मेगावाट तक विस्तार किया जा सकता है ।	अप्रैल, 08	निविदा चरण में
5.	**हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एचएससीएल)**								
(i)	वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु लिए गए आवधिक ऋण पर ब्याज इमदाद	वीआरएस के जरिए जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना तथा जनशक्ति लागत में कटौती	--	56.02	--	--	कर्मचारी संख्या को 1660 (31.12.06 की स्थिति के अनुसार) घटाकर 2007-08 के अंत तक 1500 करना ।	2007-08 के अंत तक	अब तक लगभग 11976 कर्मचारियों को अलग किया गया है । पहला लक्ष्य वर्ष 2006-07 के अंत तक कर्मचारियों की संख्या कों 1200 तक करना था । हालांकि, एचएससीएल की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के कारण वीआरएस का रिस्पोंस अच्छा नहीं था । अत: वर्ष 2007-08 तक लक्ष्य में संधोधन करके 1500 कर्मचारियों तक किया गया ।
	उप-योग –क		--	56.02	--	4098.02			

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2007-08 (बजट अनुमान)			परिमाणयोग्य सुपुर्दगीयोग्य/अनुमानित निष्कर्ष	प्रोसेसेज/ टाईम लाईन्स	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				गैर-योजना बजट	योजना बजट	आई एंड ईबीआर			
1	2	3	4	5(i)	5(ii)	5(iii)	6	7	8
ख.	**50.00 करोड़ रूपए से कम अनुमानित/मंजूर लागत की योजनाएं/कार्यक्रम**								
(i)	**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित**								
	एएमआर योजनाएं, आर एंड डी, बस्ती, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, व्यवहार्यता अध्ययन, वीआरएस का कार्यान्वयन तथा अनेक अन्य चल रही एवं नई योजनाएं	नियमित मरम्मत तथा संयंत्र का अनुरक्षण, उपस्कर व मशीनरी, उत्पादन लागत में कटौती, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि इत्यादि ।	--	14.92	65.00	2039.68	--	--	ये योजनाएं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दिन प्रतिदिन के कार्य एवं प्रचालन से संबंधित हैं । ये प्राकृतिक रूप से विविध हैं और प्रमुख योजनाएं नहीं हैं तथा आऊटकम बजट में पृथक-पृथक शामिल नहीं की गई ।
(ii)	**इस्पात मंत्रालय से संबंधित (प्रोपर)**								
	मंत्रालय का सचिवालय, पीएओ (इस्पात), डीसीआई एंड एस का कार्यालय, कोलकाता तथा विख्यात धातुकर्मियों को पुरस्कार	इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक व्यय होना	--	13.56	--	--	--	--	आऊटकम बजट में संशोधनयोग्य नहीं
	लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संवर्धन की योजना	एक पर्यावरण स्नेही ढंग से गुणवत्ता वाले इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए नवीन प्रक्रिया के विकास/पाथ ब्रेकिंग तथा समुचित प्रौद्योगिकियों हेतु अनुसंधान एवं विकास को उन्नत करने व बढ़ाने के लिए एक नई योजना/यांत्रिकी को विकसित करना ।	--	--	1.00	--	कॉलम 8 देखें	कॉलम 8 देखें	1 करोड़ रूपए का टोकन प्रावधान किया गया है चूंकि अनुसंधान एवं विकास योजना का विशिष्ट ब्यौरा विभिन्न शेयरधारकों के साथ परामर्श करके अभी हिसाब लगाया जाना है ।
	उप-योग – ख		--	*28.48*	*66.00*	*2039.68*			
	सकल योग - क + ख		--	84.50	66.00	6137.70			

अध्याय-III

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

1. भारतीय इस्पात क्षेत्र का उदारीकरण

भारतीय इस्पात क्षेत्र ऐसा प्रथम महत्वपूर्ण क्षेत्र **था** जिसे लाइसेंसिंग युग और मूल्य निर्धारण एवं वितरण नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त किया **गया** है। इसे मुख्य रूप से भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग **द्वारा** दर्शाई गई अन्तर्निहित शक्तियों और क्षमताओं के कारण **इसे नियंत्रणमुक्त** किया गया। आर्थिक सुधार और उसके परिणामस्वरूप लोहा और इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण जो 1990 के आरंभ में शुरू हुआ था, से इस्पात उद्योग में काफी विकास हुआ है और निजी क्षेत्र में ग्रीन फील्ड इस्पात संयंत्र स्थापित हुए हैं। आज विश्व में इस्पात का उत्पादन करने में **भारत** 9वें स्थान पर है। इस क्षेत्र में लगभग 90,000 करोड़ रूपए से अधिक की पूंजी लगी हुई है और सीधे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध **हुआ** है। 11.20% की वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2005-06 के दौरान 44-54 मिलियन टन परिसज्जित कार्बन इस्पात का उत्पादन हुआ। चालू वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2006) के दौरान परिसज्जित कार्बन इस्पात का कुल उत्पादन 35-65 मिलियन टन (अनन्तिम) हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन से 9-7% अधिक है।

भारतीय लोहा और इस्पात क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय नीचे दिए गए हैं:-

(i) जुलाई, 1991 में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति में लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है।

(ii) 24.5.92 से लोहा और इस्पात उद्योग को 51% तक विदेशी साम्या निवेश के लिए स्वतः मंजूरी हेतु उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। इस सीमा को अब 100% तक बढ़ाया गया है।

(iii) जनवरी, 1992 से इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित किया गया था कि रक्षा और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अतिरिक्त लघु उद्योगों, इंजीनियरी माल के निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

(iv) आयात लाइसेंसिंग, विदेशी मुद्रा निर्मुक्ति, माध्यमीकरण और अधिक आयात टैरिफ से लोहे और इस्पात के आयात को पूर्णतः मुक्त करने के लिए आयात शुल्क स्तर को कम करके लोहा और इस्पात के लिए नियंत्रित आयात प्रणाली को धीरे-

धीरे काफी उदार बनाया गया है। लोहे और इस्पात मदों का स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की भी अनुमति दी गयी है।

(v) इस्पात उत्पादन के लिए कच्चे माल पर शुल्क में भी कमी की गयी है। इन उपायों से इस्पात संयंत्रों की पूंजीगत लागत और उत्पादन लागत में कमी हुई है।

(vi) जनवरी, 1992 में मालभाड़ा समकरण योजना समाप्त कर दी गयी थी। देश के विभिन्न भागों में नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना से घरेलू बाजार में लोहा और इस्पात सामग्री निर्बाध रूप से उपलब्ध है।

(vii) बाजार शक्तियों का सामना करने के लिए प्रमुख उत्पादकों को और अधिक छूट देकर अप्रैल, 1994 से इस्पात विकास निधि संबंधी लेवी समाप्त कर दी गयी है।

(viii) खनिज उत्पादों और अयस्क एवं सांद्रण सहित इस्पात उत्पादन की महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों पर आयात शुल्क पिछले कुछ वर्षों के बजट, विशेष रूप से पिछले बजट में काफी कमी की गई है।

(ix) माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.6.2006 को हुई इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में इस्पात मंत्रालय ने एक इस्पात मूल्यन प्रबोधन समिति (एस पी एम सी) गठित की है। एस पी एम सी जिसमें सभी प्रमुख इस्पात उत्पादकों और इस्पात उपभोक्ताओं की भागीदारी है, का उद्देश्य मूल्य युक्तिकरण की मानिटरिंग, मूल्य के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करना और इस्पात जिंसों के अयुक्तिसंगत मूल्य के बारे में सभी संबंधितों को सलाह देना है। एस पी एम सी तिमाही आधार पर बैठक करेगी और विभिन्न श्रेणियों के इस्पात उत्पादों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर विचार-विमर्श करेगी, अन्तरों का विश्लेषण करेगी, भावी मूल्यों की नीति बनाएगी तथा इस्पात उत्पादन, खपत और व्यापार की नीतियों की सिफारिश करेगी।

2. राष्ट्रीय इस्पात नीति

इस्पात उद्योग की प्रगति भारत के विकास की गति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है और इस प्रकार उस लागत और मूल्य पर, जिस पर भारतीय इस्पात अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी है, संभावित मांग के अनुसार क्षमता विस्तार काफी महत्व रखता है । देश में उदारीकरण के वर्तमान युग, नियंत्रणमुक्त और उद्योग के अविनियमन ने इस्पात उद्योग के विस्तार के लिए नए अवसर उपलब्ध करा दिए हैं । इस्पात क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने और 2020 तक भारत के विकसित अर्थव्यवस्था के विजन को हासिल करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने 2005 में राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) तैयार की है । राष्ट्रीय इस्पात नीति की खास बातें नीचे दी गई हैं-

- राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारतीय इस्पात उद्योग के सुधार, पुनर्संरचना और वैश्वीकरण के संबंध में व्यापक योजना तैयार की गई है ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि भारत में विश्व स्तरीय आधुनिक और क्षमतावान इस्पात उद्योग हो जो विविधिकृत इस्पात मांग को पूरा कर सके । नीति का उद्देश्य न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र के क्षेत्र में अपितु दक्षता और उत्पादकता के क्षेत्र में भी वैश्विक मानकों को प्राप्त करना है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल की जा सके ।

- वर्ष 2019-2020 तक 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में मुक्त, वैश्विक स्तर पर एकीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में इस उद्योग के विकास में सामने आ रही आपूर्ति संबंधी अड़चनों को दूर करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति अपनाने की बात कही गई है । मांग के संबंध में रणनीति प्रोत्साहन जनक प्रयासों और जागरूकता पैदा करके तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी चेन को सुद्रढ़ बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मांग सृजित करने की होगी । आपूर्ति के संबध में अतिरिक्त क्षमता के सृजन को सुसाध्य बनाने, लौह अयस्क और कोयला जैसे आदानों की उपलब्धता में प्रक्रिया और नीति संबंधी बाधाओं को दूर करने, अनुसंधान और विकास में और अधिक

निवेश करने तथा सड़कों, रेलवे और पत्तनों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करने की रणनीति होगी ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में यह माना गया है कि देश में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कम है और जीवन स्तर में सुधार करने और जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए इस्पात की खपत बढ़ाने की जरूरत है ।

- वर्ष 2019-2020 तक 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन के नीतिगत लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी । इसके अलावा मौजूदा सुविधाओं के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए निधियों की जरूरत होगी । इतने बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है । इसके अलावा, नीति में इस्पात उद्योग को प्राप्त होने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन अवसंरचना परियोजनाओं को मुहैया करवाने की भी बात कही गई है ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात बाजार में कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए फ्यूचर्स और डिरीवेटिव्ज जैसी जोखिम-रोधी व्यवस्थाएं करने में सहायता करने की बात कही गई है।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उद्योग को उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है ताकि गौण लघु इकाइयों को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करवाए जा सकें और उद्योग से संबंधित प्राचलों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा सकें और उनका विश्लेषण किया जा सके ।

- राष्ट्रीय इस्पात नीति में विशेष श्रेणियों के इस्पात के लिए उत्पादन क्षमता सृजित करने, कोककर कोयले को प्रतिस्थापित करने, लौह अयस्क चूर्ण का उपयोग करने, ग्रामीण आवश्कताओं के अनुरूप नए उत्पाद विकसित करने, सामग्री और ऊर्जा, अपशिष्ट का उपयोग करने और पर्यावरण के संबंध में हो रही गिरावट को रोकने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी उद्यमशील प्रयास करने की बात कही गई है ।

- **राष्ट्रीय इस्पात नीति में माना गया है कि गौण इस्पात क्षेत्र ने ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने, इस्पात की स्थानीय मांग पूरी करने और देश की कुछ विशेष उत्पादों की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । इस नीति में राज्य लघु उद्योग निगमों के मौजूदा तंत्र के जरिए प्रमुख संयंत्रों से इन इकाइयों को उचित कीमतों पर आवश्यक फीडस्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है ।**

- **राष्ट्रीय इस्पात नीति में माना गया है कि भारतीय इस्पात उद्योग का एकीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ करने के लिए आवश्यक है कि इस उद्योग को उन अनुचित व्यापार क्रिया-कलापों, जो विशेषकर मंदी की अवधि के दौरान आम हो जाते हैं, से बचाने की आवश्यकता है । इसलिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में आयात को बनाए रखने के लिए तथा अन्य देशों में निर्यात इमदाद के प्रबोधन के लिए तंत्र स्थापित करने के बारे में भी कहा गया है ।**

विश्व औसत की तुलना में देश में वर्तमान प्रति व्यक्ति इस्पात खपत बहुत कम है। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है कि एन एस पी का एक उद्देश्य इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देकर देश में इस्पात की खपत और मांग को बढ़ाना है। इस्पात के उपयोग जागरूक संवर्धन के संबंध में लोगों को जागरूक करने संबंधी अभियान को ध्यान में रखते हुए सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में इस्पात संवर्धन समन्वय समिति गठित की गई है। प्रमुख इस्पात उत्पादक इस समिति में शामिल हैं। यह समिति इंस्टीट्यूट आफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आई एन एस डी ए जी) के अधीन काम कर रही है। इस समिति का उद्देश्य जागरूकता अभियान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर बल देकर के जरिए देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना है। भवनों, पुलों, सेतुओं और पत्तनों सहित विभिन्न ढांचों में इस्पत के गुणवत्तात्मक और लागत प्रभावी उपयोग के बारे में डिजायनरों, वास्तुविदों, भवन निर्माताओं और योजनाकारों को शिक्षित करना भी इस समिति का उद्देश्य है।

3. इस्पात उद्योग कार्यदल की सिफारिशें

11वीं योजना अवधि इस क्षेत्र के विकास को न केवल बनाए रखने अपितु विकास में सुधार करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मई, 2006 में योजना आयोग द्वारा सचिव, इस्पात मंत्रालय की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए इस्पात उद्योग कार्यदल गठित किया गया है। **कार्यदल का उद्देश्य लोहा और इस्पात निष्पादन का आंकन करना, क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों तथा चिंताओं की जांच करना, 11वीं योजना के दौरान संभावित मांग और पूर्ति आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सिफारिशें करना है ।** कार्यदल की प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 11वीं योजना के लिए विकास नीति तैयार करने से पूर्व इस्पात उद्योग से संबंधित मुद्दों का विस्तार

से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तदनुसार दो उप दल गठित किए गए। उप दल-I लोहे और इस्पात की मांग और पूर्ति तथा उप दल-II प्रौद्योगिकीय मुद्दों के लिए था। कार्य दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 2006 में योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी। कार्यदल की टिप्पणियों और निष्कर्षों के आधार पर तथा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 की भावना और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत को न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद-मिश्र की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अपितु दक्षता और उत्पादकता के अन्तर्राष्ट्रीय बेन्चमार्कों की दृष्टि से भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं जहां सरकार द्वारा समर्थन संबंधी उपाय उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

3.1 मांग संबंधी प्रबंधन

सभी शेयरधारकों के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय भारत में इस्पात की वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत कम होना है। आय स्तर बढ़ने, शहरीकरण और अवसंरचना के विकास से प्रतिव्यक्ति खपत में सुधार होने की आशा है जबकि घरेलू मांग में वृद्धि करने तथा खपत क्षमता सृजित करने के लिए काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। इस्पात की मांग में वृद्धि की संभावनाओं को निम्नलिखित के जरिए वास्तविकता में बदला जा सकता है:

(i) वास्तुविदों, इंजीनियरों, विद्यार्थियों और अन्य प्रौद्योगिकी प्रैक्टिशनरों और इस्पात के प्रयोक्ताओं में इस्पात के उत्पादकों और इंस्टीट्यूट आफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आई एन एस डी ए जी) द्वारा इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देना।

(ii) पुलों, क्रैश बैरियरों, सेतुओं, औद्योगिक और अन्य भवनों तथा सामान्य रूप से बड़े पैमाने पर निर्माण में इस्पात के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(iii) इस्पात प्रयोगों का विस्तार करने के लिए नए ग्रेड और उत्पाद विकसित करना।

(iv) इस्पात की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार करना।

तथापि वास्तविक चुनौती विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भी इस्पात की खपत असमानताओं में है। विभिन्न पहलों जैसे भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि के अन्तर्गत प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम खराब अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान कम आय स्तरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वहन करने योग्य मूल्य पर गृह निर्माण और कृषि/कृषि उद्योग के लिए अपेक्षित इस्पात उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता है। 11वीं योजना में देश के सभी भागों में इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए नए ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण स्टॉक केन्द्र खोलने पर काफी बल दिए जाने की आवश्यकता है।

3.2 पूर्ति संबंधी प्रबंधन

(i) कच्चा माल

नियंत्रणमुक्त इस्पात उद्योग मूल्यों के उच्च संतुलन के जरिए कमी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना बनाते समय डाउनस्ट्रीम आर्थिक कार्यकलापों के लिए इस्पात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यद्यपि घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे तथा उभरते निर्यात अवसरों का लाभ उठाना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना में इस्पात की बढ़ती हुई घरेलू मांग और निर्यात आवश्यकता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धता की योजना बनाई जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे लौह अयस्क, कोककर/अकोककर कोयला, फैरो मिश्र आदि की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए यह वांछनीय है कि कानूनी, नीति और संस्थागत ढ़ांचे में से प्राथमिकता देकर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सामग्री दक्षताओं में सुधार करके और स्वदेशी रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए इसे संभव बनाकर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

(ii) अवसंरचना

इस्पात क्षेत्र के लिए अवसंरचना अर्थात् विद्युत, रेलवे, राजमार्ग, पत्तन और तटीय जहाजरानी सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है क्योंकि एक तरफ काफी बड़े स्तर पर निवेश के कारण इस्पात कंपनियों द्वारा अपेक्षित ढ़ांचा विकसित करना व्यवहार्य नहीं है और दूसरी तरफ कंपनियों द्वारा अनिवार्य नकद प्रवाह को बनाए रखने की आवश्यकता है। तथापि निजी विद्युत संयंत्रों, जैट, सड़कों और रेलवे के लिए कार्य करने वाली कई इस्पात कंपनियों द्वारा सरकारी संसाधनों की कमी दर्शाई गई है। बड़ी इस्पात कंपनियों द्वारा इस प्रकार का कुछ निवेश अपरिहार्य है। इसलिए ढ़ांचागत विकास का बोझ पूरी तरह से इस्पात कंपनियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ कंपनियाँ अनिश्चितताओं से बचने और दीर्घकालीन लागत कम करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष रूप से सरकारी-निजी भागीदारी की इच्छुक होंगी। शेयर-धारकों के लाभ के लिए सरकारी-निजी भागीदारी (पी **पी** पी एस) के विद्यमान नीतिगत ढ़ांचे का पूर्णत: उपयोग करने की आवश्यकता है।

(iii) नए निवेश

वर्ष 2011-12 तक अतिरिक्त इस्पात क्षमताओं को सृजित करने में देश को 1 लाख करोड़ रूपए से 1.2 लाख करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता होगी। खनन और विद्युत जैसे संगत क्षेत्रों के लिए 25 से 30 हजार करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। इस्पात परियोजनाओं के लिए वित्त की सप्लाई अलग-अलग परियोजनाओं के गुण-दोषों के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित की जाएगी जबकि 11वीं योजना में इस्पात क्षेत्र में परिकल्पित क्षमता बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए वृहत स्तर पर वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त धन का निवेश करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी विकास और **उसे** अपनाने के काफी क्षेत्र हैं जो जोखिमपूर्ण हो सकते हैं परन्तु वे अच्छा रिकार्ड देने वाले भी हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को शीघ्र अपनाने के लिए उद्यम पूंजीकरण **को तीव्र गति से बढ़ावा देने** की आवश्यकता है।

3.3 प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

तकनीकी दक्षता के प्राचलों में निरन्तर सुधार के जरिए ही इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित किया जा सकता है **तथा इसे** बनाए रखा जा सकता है। ऐसे काफी क्षेत्र हैं जहां भारतीय इस्पात उद्योग पिछड़ रहा है । तथापि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां उद्योग अग्रणी भूमिका अदा करने में सक्षम है। ये समस्याएं मुख्य रूप से अपनाई गई प्रौद्योगिकियों के अप्रचलन तथा समय पर आधुनिकीकरण/पुनर्रुद्धार नहीं होने, कच्ची सामग्री और अन्य आदानों की गुणवत्ता, अपर्याप्त शॉप फ्लोर प्रक्रियाओं, आटोमेशन और आर एंड डी की कमी से संबंधित हैं। भारतीय इस्पात उद्योग उनके विदेशी सहयोगियों के स्तर पर लाने के लिए कार्रवाई के कार्यक्रमों पर काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.4 पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण

कच्चे माल से लेकर परिसज्जित इस्पात चरण तक लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी तथा अन्ततः सृजित उप-उत्पादों तथा अपशिष्ट के दक्षतापूर्ण निपटान/पुनः उपयोग को अनिवार्य रूप से लोहा और इस्पात संयंत्रों में पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए उत्पादन प्रक्रियाओं तथा संयंत्र के आस-पास के परिवेश को शामिल करते हुए एकीकृत **दृष्टिकोण** के लिए पर्यावरण के प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में उद्योग और सरकार का उद्देश्य शून्य अपशिष्ट/शून्य बहिस्राव होना चाहिए।

अपशिष्ट विशेष रूप से ढोस अपशिष्ट अपरिहार्य रूप से लाभपूर्ण मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। दूसरे शब्दों में **सतत् विकास** प्रौद्योगिकी विकास और **डिजाईन स्तर** से ही शुरू किया जाना चाहिए। भविष्य में यह सुनिश्चित में यह सुनिश्चित किया जाए कि वे

प्रौद्योगिकियाँ जो बने रहने योग्य नहीं हैं, न तो विद्यमान संयंत्रों के विस्तार और न ही नई क्षमताओं के सृजन के लिए अपनाई जानी चाहिएं। इन उद्देश्यों के लिए उद्यमियों और सरकार दोनों के स्तर पर उपयुक्त हस्तक्षेप के जरिए पहल करने के लिए आवश्यक है।

3.5 सुरक्षा उपाय

भारत में लोहा और इस्पात उद्योग में सुरक्षा की स्थिति में समग्र रूप से सुधार करने हेतु निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:-

(i) कानूनी सिस्टम को सुदृढ़ करना ताकि सुरक्षा नीति में **उल्लंघन** की कोई भी घटना चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में हो, बिना दण्ड दिए नहीं रहनी चाहिए। तदनुसार फैक्टरी निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी और कानूनी ढ़ांचे की प्रणाली को सुधारना होगा। प्रौद्योगिकियों/कार्य परिवेश में हुए बदलावों को ध्यान रखने के लिए कानूनी प्रावधानों में उन्नयन किया जाना चाहिए ताकि जहां तक संभव हो सके, खामियों को दूर किया जा सके।

(ii) सभी संयंत्रों में आई एल ओ दिशा निर्देशों के अनुसार ओ एच एस प्रबंधन प्रणाली और ओ एच एस ए एस 18001 अपनाई जानी चाहिए।

(iii) भारत में कुछ इस्पात संयंत्रों में अब भी कई पुरानी प्रौद्योगिकियाँ अर्थात् ट्विन हर्थ फर्नेश, इंगाट मेकिंग आदि प्रचालनरत हैं। ये प्रक्रियाएं वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खतरनाक हैं और इस प्रकार के संयंत्रों में सुरक्षा में सुधार करने हेतु इन प्रक्रियाओं को तत्काल बन्द किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकियों का विकास सुरक्षित कार्य परिवेश उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

(iv) अन्तर्निहित जोखिम/खतरे का बेहतर ढंग से आंकन करने के लिए सभी संयंत्रों में अग्नि माडलिंग और जोखिम विश्लेषण का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

3.6 मूल्यों में स्थिरता

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए समय के साथ इस्पात के मूल्यों में तेजी से वृद्धि और उतार-चढ़ाव आ सकता है। इस उतार-चढ़ाव का एक भाग अपरिहार्य है जबकि कारोबार की स्थिरता में वृद्धि करने के लिए ग्राहकों को हैजिंग मैकेनिजम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंच (एम सी एक्स) और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज (एन सी डी ई एक्स) जैसे विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में इस संबंध में पहले ही शुरूआत हो चुकी है। यह राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 में अपनाई गई सिफारिशों के अनुसार है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, मूल्य युक्तिसंगतिकरण की मानिटरिंग करने, मूल्यों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने तथा इस्पात जिंस के अयुक्तिसंगत मूल्य के बारे में सभी संबंधित को सलाह देने के प्रयोजन से इस्पात मंत्रालय द्वारा पहले ही **"इस्पात मूल्य प्रबोधन समिति"** गठित की जा चुकी है।

3.7 आंकडों के संग्रहण और जानकारी के प्रचार-प्रसार करने के लिए संस्थागत ढ़ांचा

आंकड़ों/सूचना के संग्रहण, वैधता, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार के लिए विद्यमान संस्थागत तंत्र में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है । इस्पात उद्योग के नियंत्रणमुक्त होने से आंकड़ों का संग्रहण विशेष रूप से क्षमता और उत्पादन से संबंधित सूचना संग्रहित करना अब काफी जटिल हो गया है । सभी शेयरधारकों, नीति निर्माताओं, फर्मों, वित्तीय संस्थानों और उपभोक्ताओं द्वारा संसूचित निर्णय लेने की सुविधा हेतु एक विश्वसनीय और प्रभावी आंकड़ा आधार तैयार करने को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान/संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है । विद्यमान संस्था नामत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) तथा आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) को इस प्रयोजन के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, विद्यमान संस्थाओं नामत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) तथा आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू), इंस्टिट्यूट फॉर स्टील डवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सेकेण्ड्री स्टील टैक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी) तथा बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टिट्यूट (बीपीएनएसआई) को सार्वभौमिकीकरण की बदली हुई वास्तविकताओं के अनुरूप रिओरियेंटिड करने की आवश्यकता है । इस संदर्भ में इस देश में इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टिट्यूट (आईआईएसआई) के अनुसार एक मल्टीडिसीपलीनरी ऑर्गेनाईजेशन स्थापित करने पर भी विचार किया जा सकता है ।

3.8 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए इस्पात उद्योग संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत कर दी गई है ।

4. <u>नीतिगत पहलों से निष्कर्ष बजट की संगतता</u>

इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के **उपक्रमों में** चालू योजनाओं/परियोजनाओं तथा 11वीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं/परियोजना जैसे क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, लौह अयस्क तथा कोककर कोयला खानों का अधिग्रहण/विकास अनुसंधान एवं विकास योजनाओं, नए स्लैब कास्टर की स्थापना, कोक ओवन बैटरी का पुनर्निर्माण, ए एम आर योजनाओं आदि से संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता तथा उत्पाद-मिश्र में सुधार होगा और उत्पादन की लागत में कमी होगी। अवधारणा पर बल देने सहित निष्कर्ष बजट की अवधारणा, रूपांकन, निष्कर्षोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यक्रम और सुदृढ़ परियोजना/कार्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा, क्षमताओं का मूल्यांकन तथा प्रभावी सुपुर्दगी प्रणाली से वास्तविक परिसम्पत्तियों और जनशक्ति के बेहतर उपयोग की संभावना है, परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन में सुधार होने, तथा प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने की आशा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनाओं/कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन से भारतीय इस्पात उद्योग के न केवल लागत,

गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने अपितु दक्षता और उत्पादकता के अन्तर्राष्ट्रीय बेन्चमार्कों जो राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 में परिकल्पित उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं, में भी योगदान देगी।

****

अध्याय IV

पिछले निष्पादन की समीक्षा-निष्कर्ष बजट 2006-07

निष्कर्ष बजट 2005-06 सरकार की केवल योजनागत योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में तैयार किया गया था। निष्कर्ष बजट 2006-07 के लिए निष्कर्ष बजट की अवधारणा को सरकार की गैर-योजनागत योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए भी अपनाया गया था। **इस्पात मंत्रालय अब तक सीधे कोई योजनागत स्कीम/कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता । तथापि, 100.00 करोड़ रूपए के प्रस्तावित परिव्यय से लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजनागत स्कीम शुरू की गई है, जिसके लिए 2007-08 के वार्षिक योजना परिव्यय में 1.00 करोड़ रूपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है । इस स्कीम का ब्यौरा इस क्षेत्र के विभिन्न शेयरधारकों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने-अपने प्रचालनों के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की योजनागत योजनाएं योजना की प्रकृति पर निर्भर करते हुए उनकी वार्षिक योजनाओं अथवा पंचवर्षीय योजना अथवा दोनों का हिस्सा होती हैं। चूंकि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की अनेक योजनागत योजनाएं होती हैं और उनमें से अधिकांश कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण और प्रचालनों से संबंधित होती हैं अत: यह महसूस किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सभी योजनाओं को इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में शामिल करना न तो व्यवहारिक होगा और न ही यह निष्कर्ष बजट के उद्देश्यों के अनुरूप होगा। अत: यह निर्णय लिया गया था कि 50.00 करोड़ रूपए से अधिक **की** मंजूर/अनुमानित लागत वाली केवल प्रमुख योजना तथा गैर-योजनागत योजनाओं को इस्पात मंत्रालय के निष्कर्ष बजट में शामिल किया जाए। इस मानक के आधार पर 25 योजनागत योजनाओं (12 योजनाएं सेल की, 3 योजनाएं एनएमडीसी की, 3 योजनाएं केआईओसीएल की और 7 योजनाएं आरआईएनएल की) और 1 गैर-योजनागत योजना (एचएससीएल के संबंध में) को निष्कर्ष बजट 2006-07 में शामिल किया गया था। इन 26 योजनाओं के संबंध में निष्कर्ष बजट 2006-07 में अभिप्रेत निष्कर्षों की तुलना में उपक्रम-वार वास्तविक उपलब्धियां (31 दिसंबर, 2006) निम्नलिखित **में** तालिकाओं दी गई हैं। **तथापि, उल्लेखनीय है कि अधिकांश प्रमुख योजनाएं अब भी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है इसलिए वास्तविक उपलब्धियों का अधिक तार्किक और वास्तविक आंकन इन योजनाओं के पूरा होने पर ही संभव है ।**

अनुमानित निष्कर्षों/लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां

3.1 *स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड*

(करोड़ रूपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/ कार्यक्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	अनुमोदित परिव्यय * 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**भिलाई इस्पात संयंत्र**											
i	वायर रॉड मिल के बी-स्ट्रैण्ड की मरम्मत	सुधरी गुणवत्ता सहित टीएमटी ग्रेड तथा स्मॉलर सैक्शन के वायर रॉड के उत्पादन को सुसाध्य बनाना	74.66	25.00	***35.28***	5.5 से 7.0 एमएम में टीएमटी ग्रेड तथा स्मॉलर सैक्शन के वायर रॉड के उत्पादन को सुसाध्य बनाना	मई, '06	नवं. '06	30.01	50.20	निष्पादन स्थायीकरण में है ।	मिल का स्थिरीकरण किया जा रहा है ।
Ii	कोक ओवन बैटरी-5 का पुनर्निर्माण	उत्पादन को बढ़ाना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त करना	219.04	85.00	***35.20***	--	जन. '07	दिसं. '07	29.19	50.11	--	मैसर्स सीयूआई, यूक्रेन द्वारा सिविल ड्राइंगों में देरी के कारण कार्यक्षेत्र के कार्य में विलंब हुआ ।
iii	प्लेट मिल में हाईड्रोलिक गेज कंट्रोल तथा प्लान व्यू रोलिंग की स्थापना	ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक क्लोजर थिकनैस टोलरैंस, लैस क्रोप कटिंग एंड साईड ट्रिमिंग को हासिल करना तथा प्लेटों के उत्पादन में सुधार करना	64.10	25.10	***35.64***	--	जुला. '06	मार्च. '07	28.96	36.12	--	नवंबर, 06 में सेमी ऑटो मोड पर पूर्ण । परीक्षण संचलन के दौरान आई समस्याएं चिह्नित की गई तथा उन्हें दूर किया गया ।

iv	बीएफ-7 का प्रौद्योगिकीय उन्नयन	धमन भट्टी की उपयोगी मात्रा एवं उत्पादकता को बढ़ाना	170.41	59.00	76.76	उपयोगी मात्रा में 2000 एम^3 से 2214 एम^3 तक की वृद्धि होगी तथा उत्पादकता में 1.75टी/एम^3/दिवस से 2.0 टी/एम^3/दिवस तक की वृद्धि होगी ।	अग.'06	फर. 07	69.54	114.36	--	टूयेरे कूलर्स में आई समस्याओं के कारण परियोजना में देरी हुई, जिसे दूर कर दिया गया । शीघ्र शुरू किए जाने का कार्यक्रम है।
v	नई स्लैब कास्टर, आरएच डिगैसर तथा लैडल फर्नेस की स्थापना	भारतीय रेलवे के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली प्लेटों तथा पटरियों के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित/विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करना ।	520.76	135.00	103.49	अतिरिक्त कास्टिंग 0.165 एमटीपीए. एपीआई X65/X70 ग्रेड-3,00,000टी	सितं., 2007	**नवं**. 07	70.10	97.01	--	--

* आई एंड ईबीआर । सेल को कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
vi.	एसएमएस में तप्त धातु डिसल्फयूराईजेशन	विशेष रूप से ऑफ-शोर, परिवहन तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में अनुप्रयोग हेतु उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए कम सल्फर वाले इस्पात के उत्पादन की सुविधा प्रदान करना ।	86.23	--	10.51	तप्त धातु में सल्फर के स्तर में 0.1% से 0.01% तक की कमी	अग.ड07	अग.ड07	5.42	7.96	--	परियोजना के समय पर पूरा होने की आशा है ।
2.	**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र**											
vii	सम्बद्ध सुविधाओं सहित ब्लूम कास्टर की स्थापना	इस्पात के उत्पादन तथा गुणवत्ता में सुधार करना और ऊर्जा खपत में कमी करना ।	271.41	110.00	109.70	कास्ट ब्लूम -0.85 एमटीपीए	मई. 06	**मार्च**. घ07	79.06	183.28	--	- प्रमुख कार्य पूरा हो गया । रोल टेबल के ड्राईव का परीक्षण चल रहा है । - आपूर्ति एवं उत्थापन कार्य में मैसर्स डेनियली, इटली द्वारा विलंब हुआ ।

viii	बीएफ-3 व 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन	प्रौद्योगिकीय जरूरत के मुताबिक कोक दर में कमी तथा फर्नेस उत्पादकता में सुधार	74.22	--	19.61	1:1 के अनुपात के आधार पर कोक का पुल्वेराईज्ड कोल में प्रतिस्थापना । 120 किग्रा/ टीएचएम की दर से ब्लास्ट फर्नेस में कोल इंजेक्शन दर ।	अग. 07	अग. 07	5.76	5.76	--	परियोजना के समय पर पूरा होने की आशा है ।

3.	**बोकारो इस्पात संयंत्र**											
ix	कोक ओवन बैटरी-5 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को प्राप्त करना ।	198.84	57.10	57.00	--	जन, 07	**मार्च** 07	30.72	84.58	--	बैटरी प्रोपर में रिफ्रैक्ट्री उत्थापन अग्रिम चरण में है । परियोजना लगभग कार्यक्रम के अनुसार चालू है ।
x	हॉट स्ट्रिप मिल में मीवैस्ट ब्लॉक सिस्टम तथा हाऊसिंग मशीनिंग में संशोधन/मरम्मत कार्य ।	हॉट स्ट्रिप की समग्र गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन में सुधार करना तथा हॉट स्ट्रिप मिल के सुचारू रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करना ।	91.86	43.36	20.00	--	जून 07	जून 07	18.97	32.20	--	परियोजना के समय पर पूरा होने की आशा है ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	**राउरकेला इस्पात संयंत्र**											
xi	कोक ओवन बैटरी-1 का पुनर्निर्माण	उत्पादन में सुधार करना तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नवीनतम उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त करना ।	112.39	49.34	56.73	--	मार्च. 05	**अप्रैल,** 07	29.82	88.84	कॉलम 13 देखें	- दिनांक 24.12.06 को चिमनी तथा दिनांक 21.1.07 को बैटरी चालू कर दी गई । - मैसर्स सीयूआई, यूक्रेन से आपूर्ति में हुई देरी के कारण परियोजना में विलंब हुआ ।
5.	*मिश्र इस्पात संयंत्र*											

xii	ऑर्गन ऑक्सीजन डीकार्बूराईजेशन (एओडी) तथा इलैक्ट्रिक ऑर्क फर्नेस की स्थापना	बेदाग इस्पात के विभिन्न ग्रेडों की उत्पादन सुविधा प्रदान करना	54.16	17.00	33.81	प्रतिवर्ष 120,000 टी बेदाग इस्पात का उत्पादन	जून, 2006	**मार्च**, 2007	29.00	40.77	सुविधाएं संस्थापित की गई हैं तथा उपस्कर का पृथक-पृथक शीत परीक्षण पूरा हो गया एओडी का तप्त परीक्षण मैसर्स गोयल गैस से गैस की अनुपलब्धता के कारण रूका हुआ है ।

3.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्य क्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय * 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक / अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	कोक ओवन बैटरी सं. 4, चरण-I	कोक की जरूरतों एवं शेष गैस को पूरा करने के लिए, अन्य तीन कोक ओवन बैटरियों की बड़े पैमाने पर मरम्मत के दौरान भी तप्त धातु व द्रव इस्पात के उत्पादन को इस स्तर पर बनाए रखने हेतु एक प्रतिस्थापन बैटरी की आवश्यकता होगी ।	303.00	122.00	125.25	0.75 एमटी कोक का उत्पादन करना	दिसं. 06	जून '07	67.31	232.97	जून, 07 में प्रत्याशित शुरूआत	उत्थापन जरूरत को पूरा करने के लिए सुपुर्दगी कार्यक्रमानुसार मैकेनिकल तथा रिफैक्ट्री सामानों की आपूर्ति में हुई देरी के कारण परियोजना में विलंब हुआ ।

ii	6.5 एमटीपीए तप्त धातु का विस्तार	संयंत्र की क्षमता को बढ़ाना ।	8692.00	901.00	407.00	द्रव इस्पात के विद्यमान 3.5 एमटीपीए के उत्पादन से 6.3 एमटीपीए तक बढ़ाना	अक्तू. '08/'09 अर्थात . नवं., 05 से चरणों में 36/48 माह		102.29	104.06	--	-परियोजना परामर्शदाता नियुक्त । -विभिन्न कार्यों एवं उपस्करों के लिए 5413 करोड़ रूपए की राशि की निविदाएं जारी की गई । 1100 करोड़ रूपए के पैकेजों के लिए मूल्य बोलियां खोली गई । -70 करोड़ रूपए मूल्य के अवसंरचना कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में है ।
iii	एयर सैपरेशन प्लांट	कंबाइन्ड ब्लोइंग प्रोसेस हेतु ऑर्गन की कमी होने पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना । उत्पादित ऑक्सीजन बीएफ में प्रयुक्त की जाती है ।	96.00	60.00	10.00	95 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 600 टन क्षमता	अक्तू'07	अक्तू '07	--	--	--	- बोर्ड ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया । - परामर्शदाता की नियुक्ति प्रगति पर है ।

* आई एंड ईबीआर । आरआईएनएल को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है ।

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/मंजूर लागत	परिव्यय 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक / अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
iv	पुल्वेराईज्ड कोल इंजेक्शन	कम महंगे पुल्वेराईज्ड कोल की तुलना में महंगे बीएफ कोक की खपत में कमी के लिए इंजेक्शन सिस्टम ।	181.00	100.00	15.00	तप्त धातु की वर्तमान क्षमता को 0.5 एमटी तक बढ़ाना तथा तप्त धातु के उत्पादन की कीमत को कम करना ।	अक्तू 07	अक्तू 07	--	--	--	निर्माण शुरू करने के लिए ऑर्डर दिए जा रहे है ।

v	लौह अयस्क खान तथा कोककर कोयला खानों का अधिग्रहण	कच्ची सामग्री हेतु आत्मनिर्भर होने के लिए आरआईएनएल के पास कोककर कोयले व लौह अयस्क के निजी स्रोत नहीं हैं ।	600.00	60.00	20.00	लौह अयस्क/कोककर कोयले की बेहतर उपलब्धता । मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता को कम करना ।	--	--	0.16	--	--	- राज्य सरकारों को लौह अयस्क के लिए राज़ी करना । - कोयला ब्लॉक आबंटिती सीएमडीपीएल, रांची को व्यवहार्यता रिपोर्ट देने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया । -कोयला खानों के विदेशी अधिग्रहण के लिए सेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया आदि के साथ एसपीवी का गठन किया जा रहा है ।
vi	बीएफ-1 सीएटी-1 मरम्मत	अवसंरचनात्मक रूप से फर्नेस को मजबूत करने से फर्नेस का जीवनकाल बढ़ाना तथा फ्यूल इंजेक्शन व उत्पादन को अन्य स्तरों से उच्च पर बनाए रखना ।	50.00	50.00	0.20	धमन भट्टी के जीवन काल में वृद्धि	2007-08	2007-08	--	--	--	2007-08 के दौरान शुरू किया जाना है ।

vii	एएमआर योजनाएं	आवधिक रूप से बड़े पैमाने पर मरम्मत, सभी प्रमुख उत्पादन इकाइयों के रख-रखाव से संयंत्र तथा उपस्कर को ठीक बनाए रखना ।	377.59	100.00	75.00	पुराने संयंत्र के संदर्भ में उत्पादन/उत्पादकता के मौजूदा स्तरों को बनाए रखना ।	सतत्	40.92	--	--	--

3.3 कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (केआईओसीएल)

(करोड़ रूपए)

सं.	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्य क्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय * 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक / अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	अन्य खान विकास	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए नई खान स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना इसका उद्देश्य है ।	145.00	70.00	5.00	--	कॉलम 13 देखें		--	--	कॉलम 13 देखें	- एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करने के लिए सेल के साथ एक समझौता हुआ है । - सेल के पक्ष में खननपट्टे का नवीकरण नहीं किया गया है । -2 मिलियन टन क्षमता के एक पैलेट संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी विचाराधीन है । -कर्नाटक सरकार, केआईओसीएल को रमनदुर्ग खान का 50 % हिस्सा आबंटित करने पर सहमत हो गई है ।

ii	मंगलौर में लौह अयस्क की प्राप्ति हेतु बल्क सामग्री संभाल सुविधाओं का निर्माण	पैलेट संयंत्र के कच्ची सामग्री के रूप में बेल्लारी/हॉस्पेट से उच्च ग्रेड के हेमेटाईट लौह अयस्क की प्राप्ति हेतु । योजना किफायती भी होगी ।	150.00	70.00	5.00	पैलेट संयंत्र के 3.5 एमटीपीवाई रेटिड उत्पादन के लिए रेल द्वारा 4 एमटीपीवाई लौह अयस्क की आपूर्ति ।	कॉलम 13 देखें	--	3.24	कॉलम 13 देखें	-पूरे उत्तरदायित्व आधार पर मैसर्स मेकॉन का ठेका दिया गया है । केआईएडीबी द्वारा भूमि आबंटित की गई है । -तथापि, चूंकि केआईएडीबी द्वारा आबंटित भूमि का हिस्सा विवादाधीन है, इसलिए विवाद का समाधान होते ही कार्य शुरू हो सकता है ।

iii	मंगलौर में स्थायी रेलवे साईडिंग का विकास	बेल्लारी-हॉस्पेट क्षेत्र से लिया जाने वाला प्रस्तावित लौह अयस्क रेल के द्वारा लाना पड़ेगा । इसके लिए मंगलौर में अधिक संख्या में रेलवे रैकों की आवश्यकता होगी । इन रैकों को संभालने के लिए, विशेष रूप से केआईओसीएल पैलेट संयंत्र के लिए, एक स्थायी रेलवे साईडिंग विकसित करनी पड़ेगी ।	50.00	15.00	5.00	पैलेट संयंत्र में प्रयोग के लिए प्राप्त 4 एमटीपीवाई लौह अयस्क को संभालना	कॉलम 13 देखें	--	4.89	कॉलम 13 देखें	चंकि बल्क मैटीरियल हैंडलिंग प्रक्रिया से संबंधित भूमि आबंटन इस कार्रवाई से आंतरिक रूप से संबंधित है तथा केआईएडीबी द्वारा आबंटित भूमि का हिस्सा विवादाधीन है, इसलिए विवाद के समाप्त होते हुए कार्य शुरू हो जाएगा ।

* आई एंड ईबीआर । केआईओसीएल को कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है ।

3.4 नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी)

(करोड़ रूपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	परिव्यय * 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	बैलाडिला डिपोजिट – 11बी	लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाना	295.89	10.00	5.00	चरण-I 3 एमटीपीए की क्षमता	अक्तूबर 2009	अक्तूबर, 2009	--	--	कॉलम 13 देखें	पर्यावरण संबंधी मंजूरी (अक्तूबर, 06 में प्राप्त हुई) में विलंब के कारण दिनांक 1.1.07 से कार्य शुरू हुआ तथा प्रगति पर है ।
ii	एनएमडीसी लोहा और इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी)	बैलाडिला खानों से सृजित स्लाईम्स का उपयोग करके लोहा और इस्पात संयंत्र की स्थापना	298.68	2.00	0.50	0.30 एमटी क्षमता के लोहा और इस्पात संयंत्र की स्थापना	कॉलम 13 देखें		--	17.20	कॉलम 13 देखें	चूंकि एनआईएसपी के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, इसलिए योजना को छोड़ दिया गया है । स्पंज आयरन प्लांट की स्थापना के लिए प्राप्त भूमि का उपयोग किया जा रहा है ।

iii	कुमारा स्वामी लौह अयस्क परियोजना	लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाना	296.03	9.50	5.00	चरण-I 3 एमटीपीए की क्षमता	दिसंबर , 2009	दिसंबर, 2009	--	--	कॉलम 13 देखें	पर्यावरण संबंधी मंजूरी जनवरी, 07 में प्राप्त हुई । पट्टा नवीकरण के विरूद्ध उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका ।

* आई एंड ईबीआर । एनएमडीसी को कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है ।

3.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. (एचएससीएल)

(करोड़ रूपए)

सं	पीएसयू का नाम तथा योजना/कार्यक्रम	लक्ष्य/निष्कर्ष	अनुमानित/ मंजूर लागत	गैर-योजना # 2006-07		मात्रात्मक सुपुर्दगीयोग्य/ वास्तविक उत्पादन	प्रासेसिज/टाईमलाईन्स		वास्तविक व्यय		अनुमानित निष्कर्ष/ कॉलम 7 के संदर्भ में उपलब्धियां	टिप्पणियां/जोखिम घटक
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		मूल	वास्तविक/ अब निर्धारित किया गया	अप्रै-दिसं. 2006 के लिए	दिसंबर, 2006 तक संचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

i	वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु लिए गए आवधिक ऋण पर ब्याज इमदाद	वीआरएस के जरिए जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना तथा जनशक्ति लागत में कटौती करना	--	59.19	56.39	कर्मचारियों की संख्या को कम करके 1500 तक ले जाना तथा जनशक्ति लागत में कटौती	2006-07 के अंत तक	2007-08 के अंत तक	33.20	339.18	वर्ष 1999-2000 में जनशक्ति को 13576 से कम करके 1600 (1.1.2007 की स्थिति के अनुसार) कर दिया गया था । जनशक्ति लागत में कटौती वर्ष 1999-2000 में 134 करोड़ रूपए की तुलना में वर्ष 2005-06 में 23.59 करोड़ रूपए कर दी गई ।	अब तक लगभग 11976 कर्मचारियों को अलग किया गया है । आरंभ में लक्ष्य वर्ष 2006-07 के अंत तक कर्मचारियों की संख्या कों 1200 तक करना था । हालांकि, एचएससीएल की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के कारण वीआरएस का रिस्पोंस अच्छा नहीं था । अत: वर्ष 2007-08 तक लक्ष्य में संधोधन करके 1500 कर्मचारियों तक किया गया ।

बजटीय सहायता

****

अध्याय - V

वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2007-2008, के लिए मांग संख्या 90 बजट सत्र के दौरान इस्पात मंत्रालय की ओर से संसद में प्रस्तुत की जाएगी। इस मांग में मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के गैर-योजना व्ययों तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-योजना व्ययों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

1. वर्ष 2007-2008 के लिए मांग संख्या 90 के संबंध में निधि की कुल आवश्यकता

वर्ष 2006-2007 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान सहित बजट अनुमान 2007-2008 के लिए मांग संख्या-90 में शामिल कुल वित्तीय आवश्यकता का सार निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

2007-2008के लिए मांग सं. 91	बजट अनुमान 2006-2007			संशोधित अनुमान 2006-2007			बजट अनुमान 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना	योग
राजस्व खंड	0.00	84.50	**84.50**	0.00	85.10 *	**85.10**	1.00	84.50	***85.50***
पूंजी खंड	45.00	0.00	**45.00**	45.00	51.90	**96.90**	65.00	0.00	***65.00***
योग	**45.00**	**84.50**	**129.50**	**45.00**	**137.00 ***	**182.00**	**66.00**	**84.50**	***150.50***

* इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इडिया लिमिटेड (सेल) के संबंध में बकाया दंडात्मक गारंटी शुल्क के 70.22 करोड़ रूपए का लेखा समायोजन शामिल नहीं हैं।

2. गैर-योजना व्यय

इस्पात मंत्रालय का 2006-07 (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान) तथा बजट अनुमान 2007-08 में गैर-योजना व्यय, सचिवालय आर्थिक सेवाएं, विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात (डी सी आई एंड एस), कोलकाता तथा इस मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

(करोड़ रूपए)

	मुख्य शीर्ष एवं व्यय की मदें	बजट अनुमान 2006-07	संशोधित अनुमान 2006-07	बजट अनुमान 2007-08
I.	**मुख्य शीर्ष - 3451**			
1.	सचिवालय - आर्थिक **सेवाएं**	9.89	10.49	11.62
II.	**मुख्य शीर्ष - 2852**			
2.	विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, कोलकाता	2.15	2.09	1.82
3.	संसाधनों में कमी को पूरा करने के लिए बर्ड ग्रुप की कंपनियों को गैर-योजना ऋण	0.10	0.10	0.12
4.	वी आर एस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. को आर्थिक सहायता	59.19	56.39	56.02
5.	नकद ऋण/ बैंक गारंटी वीआरएस ऋणों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए गारंटी फीस को माफ करने के लिए हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. को आर्थिक सहायता	6.60	6.60	6.60

6.	गारंटी फीस को माफ करने के लिए बी आर एल को आर्थिक सहायता	0.54	0.40	0.54
7.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों पर मेकॉन का ब्याज सहायता	6.03	3.90	6.03
8.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ऋणों पर भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए बैंकों से लिए गए गारंटी शुल्क माफ करने के लिए मेकॉन को सहायता	0.00	5.13	1.75
9.	सेल के संबंध में दंडात्मक गारंटी शुल्क को माफ करना घटाएं-निवल प्राप्तियां	0.00 *0.00*	70.22 *-70.22*	0.00 *0.00*
III.	**मुख्य शीर्ष - 6852**			
10.	बकाया सांविधिक देयताओं, वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए एचएससीएल को गैर-योजना ऋण।	0.00	21.44	0.00
11.	बकाया सांविधिक देयताओं, वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए बीआरएल को गैर-योजना ऋण।	0.00	30.46	0.00
	योग : गैर-योजना व्यय	***84.50***	***137.00***	***84.50***

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2006-07 के संशोधित अनुमान में गैर-योजना प्रावधान 2006-07 के बजट अनुमान के गैर-योजना प्रावधान की तुलना में 52.50 करोड़ रूपए अधिक हैं। यह बढ़ोतरी निम्नलिखित के कारण है:-

(i) मुख्य शीर्ष 3451 के तहत 0.60 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान सहायकों तथा वैयक्तिक सहायकों के वेतनमान में वृद्धिपरक संशोधन के चलते वेतन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए है।

(ii) 51.90 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान (गैर-योजना ऋण के रूप में) एचएससीएल तथा बीआरएल की बकाया सांविधिक देयताओं, कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के लिए है।

2006-07 के संशोधित अनुमान में मेकॉन को गारंटी शुल्क की माफी हेतु 5.3 करोड़ रूपए की इमदाद (उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या-8) को मंत्रालय के 2006-07 के अनुदान में उपलब्ध बचत से पूरा किया जाएगा। इस लेखा समायोजना को करने के लिए 2006-07 की अनुपूरक अनुदान मांग के तीसरे और अंतिम बैच में एक टोकन अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

2006-07 के संशोधित अनुमान में उल्लिखित उपर्युक्त प्रावधानों के अलावा एचएससीएल को बकाया आयकर पर ब्याज को शामिल करते हुए बकाया आयकर देयता के परिसमापन हेतु इस मंत्रालय द्वारा 2006-07 की अनुपूरक अनुदान मांग के तीसरे और अंतिम बैच में 165.79 करोड़ रूपए की गैर-योजना अनुदान मांग के लिए एक अनुपूरक अनुदान भी मांगा गया है।

3. योजना व्यय

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के वित्तीय रूप से कमजोर तथा घाटे में चल रहे कुछ उपक्रमों को योजना बजटीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है जहां 2006-07 के बजट अनुमान में 45.00 करोड़ रूपए की योजना बजटीय सहायता को 2006-07 के संशोधित अनुमान में बनाए रखा गया था वहीं 2007-08 के बजट अनुमान में 66.00 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता का प्रावधान रखा गया है:-

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	**संगठन/उपक्रम का नाम**	**योजना**	**योजना बजटीय सहायता बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 2006-07**	**योजना बजटीय सहायता बजट अनुमान 2007-08**
1.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड	(i) एएमआर योजनाओं के लिए साम्या निवेश	7.00	0.00
		(ii) बीआरएल की पुनर्संरचना हेतु प्रस्तावित योजना के मद्देनजर टोकन प्रावधान	--	1.00
2.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	(i) निर्माण उपस्कर एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन/खरीद	7.00	0.00
		(ii) बीआरएल की पुनर्संरचना हेतु प्रस्तावित योजना के मद्देनजर टोकन प्रावधान	--	1.00
3.	मेकॉन लिमिटेड	(i) कंपनी में साम्या निवेश *	30.00	0.00
		(ii) 5 प्रतिशत गैर-संचयी शोधनीय तरजीही शेयर पूंजी के जरिए निधियां लाना *	0.00	63.00
4.	बर्ड ग्रुप	एएमआर योजनाएं	1.00	0.00
5.	इस्पात मंत्रालय	लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु योजना के लिए टोकन प्रावधान	--	1.00
	योग		***45.00***	***66.00***

* सरकार द्वारा मेकॉन के लिए अनुमोदित पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पैकेज का भाग।

2006-07 तथा 2007-08 में मेकॉन के लिए योजना बजटीय प्रावधानों के संबंध में (उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या-3 पर) यह उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान सरकर द्वारा मेकॉन के लिए दिनांक 8.2.2007 को अनुमोदित किए गए पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पैकेज के अनुसार किए गए हैं। इस पुनरूद्धार पैकेज में दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार 7.72 करोड़ रूपए के सरकार के बकाया ऋणों और उस पर ब्याज को साम्या में परिवर्तित करने का भी प्रावधान किए गया है। पुनरूद्धार पैकेज के इस पहलू को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय द्वारा 2006-07 की अनुपूरक अनुदान मांग के तीसरे और अंतिम बैच में उपयुक्त धनराशि का अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उद्योग से संबंधित कार्य दर की सिफारिशों के अनुरूप इस्पात मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल गुणवत्ता वाले इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन हेतु अभिनव तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा इसमें तेजी लाने के लिए एक नई योजना/तंत्र लाने का प्रस्ताव किया है। चूंकि इस अनुसंधान एवं विकास योजना के विशिष्ट ब्यौरों को इस क्षेत्र के विभिन्न स्टेक होल्डरों के परामर्श से अभी तय किया जाना है अत: 2007-08 की योजना में इस योजना के लिए 1.00 करोड़ रूपए का टोकन प्रावधान किया गया है (क्रम संख्या-5, उपर्युक्त तालिका)।

संबंधित वर्षों के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान की तुलना में पहले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अनुदान के तहत वास्तविक योजना तथा गैर-योजना व्यय (सकल आधार) निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपए)

वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय		
	गैर-योजना	योजना	योग	गैर-योजना	योजना	योग	गैर-योजना	योजना	योग
2005-07	84.50	45.00	129.50	137.00	45.00	182.00	103.66	7.00	110.66 #
2005-06	74.53	15.00	***89.53***	84.50	15.00	***99.50***	77.15	15.00	***92.15***
2004-05	165.54	15.00	***180.54***	190.21	15.00	***205.21***	188.97	15.00	***203.97***
2003-04	70.31	11.00	***81.31***	1057.97*	18.00	***1075.97***	1056.17*	18.00	***1074.17***

वास्तविक व्यय अप्रैल-दिसंबर, 2006 अर्थात 31.12.2006 तक 9 माह की अवधि के लिए है।

* इसमें इस्को इस्पात संयंत्र (उस समय सेल की सहायक कंपनी) के संबंध में भारत सरकार के ऋणों और उस पर ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज को बट्टे खाते डालने के लिए 952.10 करोड़ रूपए का लेखा समायोजना शामिल है।

4. इस्पात मंत्रालय का वार्षिक योजना परिव्यय, 2007-08

इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक योजना 2007-08 प्रस्तावों तथा योजना आयोग के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर और 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने इस्पात मंत्रालय के लिए 2007-08 के बजट अनुमान हेतु निम्नलिखित परिव्यय मंजूर किया है:

(करोड़ रूपए)

(क)	सकल बजटीय सहायता	66.00
(ख)	आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई एंड ईबीआर)	6137.70
(ग)	**इस्पात मंत्रालय का कुल परिव्यय (क+ख)**	***6203.70***

वार्षिक योजना 2006-07 (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान) तथा वार्षिक योजना 2007-08 के लिए उपक्रम-वार योजना परिव्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/संगठन का नाम	बजट अनुमान 2006-07			संशोधित अनुमान 2006-07			बजट अनुमान 2007-08		
	परिव्यय	आईईबीआर	बजटीय सहायता	परिव्यय	आईईबीआर	बजटीय सहायता	परिव्यय	आईईबीआर	बजटीय सहायता
क. उपक्रमों की योजनाएं									
1. सेल	1275.00	1275.00	0.00	1275.00	1275.00	0.00	2641.00	2641.00	0.00
2. आरआईएनएल	1452.00	1452.00	0.00	673.45	673.45	0.00	3056.70	3056.70	0.00
3. सिल	5.00	5.00	0.00	1.10	1.10	0.00	5.00	5.00	0.00
4. एचएससीएल	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	1.00	0.00	1.00
5. मेकॉन	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	66.00	3.00	63.00
6. बीआरएल	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	1.00	0.00	1.00
7. एमएसटीसी	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
8. एफएसएनएल	11.80	11.80	0.00	17.00	17.00	0.00	12.00	12.00	0.00
9. एनएमडीसी	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	250.00	250.00	0.00
10. केआईओसीएल	200.00	200.00	0.00	38.00	38.00	0.00	75.00	75.00	0.00
11. मॉयल	48.50	48.50	0.00	**68.32**	**68.32**	0.00	65.00	65.00	0.00
12. बर्ड ग्रुप	26.00	25.00	1.00	14.00	13.00	1.00	25.00	25.00	0.00

योग - क	***3217.30***	***3172.30***	***45.00***	***2285.87***	***2240.87***	***45.00***	***6202.70***	***6137.70***	***65.00***
ख. 11वीं योजना में इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई योजनाएं									
1. लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं	---	---	---	---	---	---	1.00	0.00	1.00
2. इस्पात क्षेत्र में संस्था तथा जनशक्ति विकास हेतु योजना	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
3. एसएमई के लिए टीयूएफएस	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00
योग - ख	---	---	---	---	---	---	***0.00***	***0.00***	***1.00***
कुल योग - क+ ख	***3217.30***	***3172.30***	***45.00***	***2285.87***	***2240.87***	***45.00***	**6203.70**	**6137.70**	**66.00**

नोट:- इस्पात मंत्रालय को सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अपने बजट का 10 प्रतिशत चिन्हित करने की व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उद्योग से संबंधित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त तालिका के भाग-ख में दर्शाई गई तीन योजनाओं को 11वीं योजना अवधि के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। कार्य दल की सिफारिशों तथा इस मंत्रालय के तकनीकी खंड से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु योजना के लिए 100 करोड़ रूपए, जनशक्ति विकास योजना के लिए 25 करोड़ रूपए की योजना निधियों तथा एसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के लिए 10 करोड़ रूपए के टोकन प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। वार्षिक योजना 2007-08 के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना हेतु 20 करोड़ रूपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया था जिसके लिए योजना आयोग ने 1 करोड़ रूपए के टोकन प्रावधान को अनुमोदित कर दिया है। अन्य 2 योजनाओं अर्थात जनशक्ति विकास योजना तथा टीयूएसएफ के लिए वार्षिक योजना 2007-08 (बजट अनुमान) में काई आबंटन नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इन तीनों योजनाओं के विस्तृत ब्यौरों को इस क्षेत्र के विभिन्न स्टेक होल्डरों के परामर्श से अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के लिए 2007-08 के बजट अनुमान में परिव्यय हेतु किए गए प्रावधान का योजना/परियोजना-वार संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. **वार्षिक योजना 2007-08 (बजट अनुमान) में** 6203.70 करोड़ रूपए **के कुल परिव्यय में से** 2641.00 करोड़ रूपए **की धनराशि का प्रावधान** स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) **के लिए किया गया है। जिसे इसके आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ईबीआर) से पूरा किया जाए। सेल की विभिन्न योजनाओं के लिए परिव्यय के प्रावधान का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-**

(i) **694.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान** भिलाई इस्पात संयंत्र **के लिए किया गया है। परिव्यय में अन्य बातों के साथ-साथ कोक ओवन बैटरी संख्या-5 की बड़े पैमाने पर मरम्मत का व्यय (116.00 करोड़ रूपए), एसएमएस-2 में नया स्लैब कास्टर (299.00 करोड़ रूपए), हॉट मैटल डीसल्फराइजेशन इकाई की स्थापना तथा अन्य चल रही और नई योजनाओं के लिए व्यय शामिल है।**

(ii) 301.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए किया गया है। परिव्यय में धमन भट्टी - 3 तथा 4 में संबद्ध सुविधाओं तथा कोल्ड डस्ट इंजेक्शन सहित ब्लूम कास्टर जैसी चल रही योजनाओं और मर्चेंट मिल के आधुनिकीकरण तथा कैप संवर्धन और बीएसपी के विस्तार जैसी नई योजनाओं पर व्यय शामिल है।

(iii) 250.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए किया गया है। परिव्यय में तप्त धातु डी-सल्फराइजेशन इकाई तथा धमन भट्टी-4 में सीडीआई की स्थापना और सीओबी -4 की बड़े पैमाने पर मरम्मत जैसी नई योजनाओं पर व्यय शामिल है।

(iv) 480.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान **बोकारो इस्पात संयंत्र** के लिए कोक ओवन बैटरी सं. 5 की बड़े पैमाने पर मरम्मत, एचएसएम में मे-वेस्ट ब्लॉक, ऑक्सीजन संयंत्र में एटीसी तथा ओटीसी का प्रावधान, धमन भट्टी-2 तथा 3 में सीडीआई का प्रावधान और अन्य चल रही तथा नई योजनाओं पर होने वाले व्यय हेतु किया गया है।

(v) 60.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान **मिश्र इस्पात संयंत्र** के लिए एएसपी के विस्तार हेतु नई योजना तथा चल रही योजनाओं के लिए किया गया है।

(vi) 500.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान **इस्को इस्पात संयंत्र** के लिए सीओबी - 10 की बड़े पैमाने पर मरम्मत (100 करोड़ रूपए) और आईएसपी के विस्तार (285 करोड़ रूपए) और चल रही योजनाओं (115.00 करोड़ रूपए) के लिए किया गया है।

(vii) 150.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रावधान **सेलम इस्पात संयंत्र** के लिए बुनियादी तौर पर एसएसपी के विस्तार हेतु किया गया है।

(viii) 206 करोड़ रूपए के शेष परिव्यय का प्रावधान विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील लि. (15 करोड़ रूपए), सेल की केंद्रीय इकाइयों (51 करोड़ रूपए), आरएमडी (100 करोड़ रूपए) और महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मैल्ट लि. (40 करोड़ रूपए) हेतु विभिन्न चल रही परियोजनाओं तथा अनुसंधान कार्य के लिए किया गया है।

2. 2007-08 के बजट अनुमान में 3056.70 करोड़ रूपए **के परिव्यय का प्रावधान** राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. **के लिए किया गया है। इस परिव्यय में से 2500.00 करोड़ रूपए का प्रमुख भाग आरआईएनएल की उत्पादन क्षमता का 6.5 मिलियन टन तक विस्तार करने के लिए निर्धारित किया गया है। एएमआर योजनाओं तथा कोक ओवन बैटरी संख्या-4 (चरण-1 तथा 2), लौह अयस्क तथा कोककर कोयला खानों का अधिग्रहण तथा पल्वेराइज्ड कोल इंजेक्शन जैसी नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। परिव्यय की पूर्ति कंपनी के आई एंड ईबीआर से की जाएगी।**

3. 5.00 करोड़ रूपए **के परिव्यय का प्रावधान** स्पंज आयरन इंडिया लि. **के लिए किया गया है जो एएमआर योजनाओं के लिए है और इसकी पूर्ति कंपनी के आई एंड ईबीआर से की जाएगी।**

4. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड **की पुनर्संरचना हेतु प्रस्तावित योजना के मद्देनजर पुराने निर्माण उपस्करों की मरम्मत तथा नए उपस्कर खरीदनें के लिए योजना बजटीय सहायता के रूप में** 1.00 करोड़ रूपए **का टोकन प्रावधान किया गया है।**

5. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड **की पुनर्संरचना हेतु प्रस्तावित योजना के मद्देनजर एएआर योजनाओं के लिए के लिए योजना बजटीय सहायता के रूप में** 1.00 करोड़ रूपए **का टोकन प्रावधान किया गया है।**

6. 250.00 करोड़ रूपए **के परिव्यय का प्रावधान** नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन **के लिए किया गया है जिसकी पूर्ति आई एंड ईबीआर से की जाएगी। इसमें चल रही एएमआर तथा अनुसंधान एवं विकास योजनाओं तथा कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना, बैलाडिला निक्षेप-11बी तथा कर्नाटक में विंडमिल जैसी नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।**

7. **75.00 करोड़ रूपए** का प्रावधान कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. हेतु अन्य खान विकास, डक्टाइल स्पन पाइप संयंत्र, मंगलौर में रेल द्वारा लौह अयस्क की प्राप्ति हेतु अवसंरचना के विकास, एएमआर योजनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए किया गया है। पूरे योजना परिव्यय की पूर्ति कंपनी के आई एंड ईबीआर से की जाएगी।

8. **65.00 करोड़ रूपए** का प्रावधान **मैंगनीज ओर इंडिया लि.** हेतु एकीकृत सज्जीकरण संयंत्र तथा बालाघाट खान में जल आपूर्ति योजना, संयुक्त उद्यम में निवेश, विंड पावर जनरेशन योजना, एएमआर योजनाओं, बस्ती तथा अनुसंधान एंव विकास/व्यवहार्यता अध्ययन जैसी योजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया है। योजना परिव्यय की पूर्ति कंपनी के आई एंड ईबीआर से की जाएगी।

9. 63.00 करोड़ रूपए **परिव्यय का प्रावधान** मेकॉन लि. **के लिए कंपनी के पुनर्संरचना/पुनरूद्धार पैकेज के अनुसार कंपनी में तरजीही शेयर पूंजी शामिल करने के लिए योजना बजटीय सहायता के रूप में किया गया है।**

10. 5.00 करोड़ रूपए **के परिव्यय का प्रावधान** एमएसटीसी लिमिटेड **हेतु स्टॉकयार्ड/वेयर हाउसिंग सुविधाओं की स्थापना तथा ई-बिजनेस पोर्टल कि विकास के लिए किया गया है और इसकी पूर्ति आई एंड ईबीआर से की जाएगी।**

11. 12.00 करोड़ रूपए **के परिव्यय का प्रावधान** फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड **हेतु एएमआर योजनाओं के लिए किया गया है और इसकी पूर्ति आई एंड ईबीआर से की जाएगी।**

12. 25.00 करोड़ रूपए **के परिव्यय का प्रावधान** बर्डग्रुप कंपनियों **हेतु वन रोपण तथा पट्टा मामलों, खनिज आधारित उद्योगों और एएमआर योजनाओं के लिए किया गया है और इसकी पूर्ति आई एंड ईबीआर से की जाएगी।**

5. 2002-2006 के दौरान योजना परिव्यय तथा वास्तविक व्यय

दसवीं योजना के पहले चार वर्षो के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए)

उपक्रम का नाम	2002-2003		2003-2004		2004-05		2005-06	
	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1. सेल	500.00	224.33	600.00	454.32	**650.00**	**531.63**	**1030.00**	**812.70**
2. आरआईएनएल	55.00	27.05	227.00	25.00	**300.00**	**70.90**	**896.00**	**160.94**
3. मेकॉन	4.00	2.00	1.00	1.00	**1.00**	**1.00**	**12.28**	**12.28**
4 एमएसटीसी	20.00	14.85	5.00	0.00	**5.00**	**0.00**	**5.00**	**4.30**
5. एफएसएनएल	12.00	14.91	11.50	5.33	**11.50**	**12.93**	**10.00**	**19.35**
6. सिल	5.00	2.00	5.00	2.02	**9.00**	**1.10**	**5.00**	**0.78**
7. एचएससीएल	9.00	4.00	4.00	4.00	**3.00**	**3.00**	**4.00**	**4.00**
8. बीआरएल	13.00	5.00	7.00	12.00	**10.00**	**10.00**	**7.00**	**7.00**
9. एनएमडीसी	527.05	113.05	481.55	65.12	**321.90**	**46.76**	**220.25**	**121.28**
10. केआईओसीएल	133.00	10.07	30.00	9.22	**54.00**	**11.05**	**225.00**	**31.28**
11. मॉयल	32.50	12.93	26.75	7.78	**20.00**	**17.57**	**34.21**	**25.97**
12. बर्ड ग्रुप	3.45	3.74	2.50	16.91	**16.00**	**5.04**	**17.38**	**9.24**
13. अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन *	95.00	0.41	60.00	13.93	**60.00**	**7.63**	**0.00**	**0.00**
योग	***1409.00***	***434.34***	***1461.30***	***616.63***	*1461.40*	*718.61*	*2466.12*	*1209.12*
इनमें से:								
(i) आई एंड ईबीआर	***1397.00***	***422.34***	***1443.30***	***598.63***	*1446.40*	*703.61*	*2451.12*	*1194.12*
(ii) बजटीय सहायता	***12.00***	***12.00***	***18.00***	***18.00***	*15.00*	*15.00*	*15.00*	*15.00*

* योजना आयोग द्वारा वर्ष 2006-07 से इसे योजनागत योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि योजना पर होने वाले व्यय को इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से पूरा किया जाना है।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षो के दौरान वास्तविक योजना व्यय संतोषजनक नहीं रहा है हांलाकि वास्तविक व्यय में प्रतिशतता तथा समग्रता की दृष्टि से, दोनों में बढ़ोत्तरी का रूख दिखाई दिया है। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में क्रमश: 31.40 प्रतिशत तथा 41.50 प्रतिशत के वास्तविक उपयोग की तुलना में वार्षिक योजना 2004-05 तथा 2005-06 में अनुमोदित परिव्यय का उपयोग लगभग 49 प्रतिशत है। जहां वार्षिक योजना 2002-03 से 2005-06 के दौरान प्रत्येक योजना में याजना बजटीय सहायता का शत-प्रतिशत उपयोग हुआ है वहीं संबंधित वार्षिक योजना परिव्ययों में पूरी गिरावट आई एंड ईबीआर के संबंध में है। वर्ष 2002-06 के दौरान उपयोग में 3819.12 करोड़ रू0 की कुल गिरावट की लगभग 93 प्रतिशत गिरावट सरकारी क्षेत्र के 4 प्रमुख उपक्रमों अर्थात सेल, आर आई एन एल, एन एम डी सी तथा के आई ओ सी एल द्वारा कम उपयोग के कारण आई है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में सेल द्वारा योजना परिव्यय के उपयोग में सुधार हुआ है और यह 2002-03 में 45 प्रतिशत से 2004-05 तथा 2005-06 में लगभग 80 प्रतिशत हो गई वहीं आर आई एन एल, एन एम डी सी तथा के आई ओ सी एल द्वारा 2002-06 के दौरान गिरावट बढ़ी है जिसके मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

- **आर आई एन एल**: द्रव्य इस्पात की क्षमता के 6.3 एम टी पी ए तक विस्तार जैसी प्रमुख योजनाओं के अनुमोदन में विलंब और आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों आदि की तरफ से हुए विलंब के चलते योजनाओं का धीमा गति से कार्यान्वयन।
- **एन एम डी सी**: कंपनी की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय/राज्य के प्राधिकारियों से वन संबंधी मंजूरी/पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में विलंब और व्यवहार्य प्रौद्योगिकी के अभाव के चलते एन एम डी सी आयरन एंड स्टील प्लांट जैसी कतिपय योजनाओं की छंटनी।
- **के आई ओ सी एल**: कुद्रेमुख में लौह अयस्क के खनन कार्य को 31.12.2005 से बंद करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश ।

इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मंत्रालय के 10वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय को 2001 में अंतिम रूप दिया गया था और इस समय वर्ष 2003 से इस्पात क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखाई देने लगे थे। 10वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान योजना परिव्यय के कम उपयोग और बाद में योजना परिव्यय के उपयोग में सुधार के रूख और साथ ही वर्ष 2005-06 से योजना परिव्यय में बढ़ोत्तरी से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

6. बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ वित्तीय दृष्टि से कमजोर उपक्रमों को छोड़कर मंत्रालय द्वारा सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के किसी अन्य संगठन अथवा संस्था को कोई बजटीय सहायता/अनुदान मांग उपलब्ध नहीं करवाई गई है। दिनांक 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को **जारी** की गई बजटीय सहायता (योजना तथा गैर-योजना) के संबंध में कोई उपयोग प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है।

7. खर्च नहीं किये गये शेष की स्थिति

जैसा ऊपर बताया गया है इस्पात मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ वित्तीय दृष्टि से कमजोर उपक्रमों को आवश्यकता के आधार पर बजटीय सहायता उपलब्ध करवाता है। दिनांक 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार उपक्रमों के पास खर्च नहीं किए गए शेष की स्थिति निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए)

वर्ष 2005-06 के अंत में अर्थात 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार खर्च नहीं किया गया शेष	अप्रैल-दिसम्बर, 2006-07 के दौरान **जारी की गई** धनराशि	अप्रैल-दिसम्बर, 2006-07 के दौरान उपयोग की गई धनराशि	31.12.2006 की स्थिति के अनुसार खर्च नहीं किया गया शेष
4.90	93.95	43.31	55.54*

***** 55.54 करोड़ रू0 के खर्च नहीं किए गए शेष में से 51.90 करोड़ रू0 का खर्च नहीं किया गया शेष बी आर एल तथा एच एस सी एल को बकाया वेतन, मजदूरी तथा सांविधिक देयताओं के भुगतान हेतु दिये गये गैर-योजना ऋण से संबंधित है। 51.90 करोड़ रूपये की यह धनराशि दिसम्बर 2006 में अनुपूरक अनुदान मांग के दूसरे बैच में प्राप्त की गई थी और इसे दिनांक 28.12.2006 को सरकारी क्षेत्र के 2 उपक्रमों को **जारी** किया गया था।

****